



भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या सीईएन-03/2019

गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी)-पूर्वस्नातक ओर स्नातक पदों के लिए

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं समय

रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट में प्रकाशन की तिथि	23.02.2019
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ	08.03.2019 को 10.00 बजे से
आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण की समाप्ति	07.04.2019 को 23.59 बजे तक
आवेदन शुल्क निम्नलिखित माध्यम से भुगतान करने की समाप्ति तिथि एवं समय :	
(क) ऑनलाइन (नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई)	13.04.2019 को 23.59 बजे तक
(ख) एसबीआई चालान	11.04.2019 को 13.00 बजे तक
(ग) पोस्ट ऑफिस चालान	11.04.2019 को 13.00 बजे तक
आवेदनों को अंतिम रूप से जमा करना	16.04.2019 को 23.59 बजे तक
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	जून -जुलाई, 2019 के मध्य संभावित

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं तथा भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की तिथियों की जानकारी समय-समय पर इस सूचना के पैरा - 20.0 में अनुसूचित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों और इस सीईएनके पैरा 4 में वर्णित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में लिपिकवर्गीय (मिनिस्टीरियल) तथा एकाकी (आइसोलेटिड) कोटियांके विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण आवेदन दिनांक 16.04.2019 को 23.59 बजे तक चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्देश- ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक **07.04.2019** तक, पद (पदों) के लिए निर्धारित सभी योग्यता प्राप्त है/पात्रताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए संपूर्ण निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीईएन के पैरा 20.0 पर दिए गए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचीबद्ध वेबसाइटों पर ही जाएँ तथा नकली वेबसाइटों तथा जालसाजों से सावधान रहें।
- चूँकि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस अथवा ई-मेल से भिजवाई जाती है, अतः उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर एवं वैध तथा कार्यरत (चालू) ई-मेल पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर एवं ई-मेल भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय होना चाहिए। किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल परिवर्तन के लिए अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।

5. आवेदन, केवल ऑनलाइन और पैरा 20.0 पर सूचीबद्ध किए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने हैं। इस सीईएन में अधिसूचित सभी पदों के लिए चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु केवल एक आवेदन उस चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड में प्रस्तुत करना चाहिए। उम्मीदवार सिर्फ एक रेलवे भर्ती बोर्ड को आवेदन कर सकता है। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने से सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएनके विरुद्ध किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य और वंचित घोषित कर दिया जाएगा।
6. उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर पद मापदंड तालिका (पोस्ट पैरामीटर तालिका) और रिक्ति तालिका को अवश्य पढ़ना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी है। अपनी योग्यता को जानने के बाद केवल किसी एक रेलवे भर्ती बोर्ड पर जाकर उसमें निहित पद (पदों) के विकल्प को चुनें। एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात् वह अंतिम होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र या प्रमाणपत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात्, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना गलत होने/ सही न होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने का संज्ञान होता है, तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
आवेदन जमा करने के पश्चात् भी, किंतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर, संशोधन शुल्क जमा करने के उपरांत, उम्मीदवार आवेदन विवरण में चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अतिरिक्त अन्य विवरणों को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (दिनांक 16.04.2019) के पश्चात् आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए प्रस्तुत किसी भी अभ्यावेदन पर आरआरबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
8. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को पूरा करते हैं। उम्मीदवार को यह ध्यान देना चाहिए कि आवेदन किए गए पद से संबंधित चिकित्सा मानक (मानकों) को नियुक्ति के समय पूरा न करने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
9. केंद्र/ शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को अन्य शहरों / राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र के परिवर्तन का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. अंतिम क्षणों में भीड़ (व्यस्तता) से बचने के लिए उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दिया जाता है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि के पर्याप्त समय से पूर्व जमा कर दें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/ असफलता हो सकती है।
उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रिया

1. कदाचार : किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजते पाया गया, तो रेलवे भर्ती बोर्ड/ आरआरबी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में उपस्थित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. **प्रतिबंधित सामग्री:-** परीक्षा हाल के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/ पेंसिल, वालेट/ पर्स, बेल्ट, जूते और धात्विक कपड़े या आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। इन निर्देशों के प्रति किए जाने वाले उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाना संभव नहीं है।
3. **परीक्षा के चरण :** एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी, इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (SST) / ट्रांसलेशन टेस्ट (TT) / परफॉरमेंस टेस्ट (PT) / टीचिंग स्किल टेस्ट (TST) (जैसा कि लागू हो) और तत्पश्चात्, दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्स्क जाँच होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड एकल या कई चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
4. **बुलावा पत्र :** उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और तिथि सूचना, ई- बुलावा पत्र तथा यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
5. **अंकों का सामान्यीकरण :** बहु सत्रों में शामिल परीक्षा के सभी चरणों के लिए अंक सामान्यीकृत हो जाएँगे। इस सूचना के पैरा 14.0 और 14.1 में दिए गए सूत्रों के अनुसार अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा।
6. **विभिन्न चरणों के लिए चयन:** दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की आरआरबी-वार सूची सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। आशुलिपि कौशल टेस्ट/अनुवाद टेस्ट के लिए चयन सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 10 गुना की दर से की जाएगी। स्कूल शिक्षकों के पदों के लिए काबिलियत की परीक्षा/शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए लघुचयन/शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 2-1/2(2.5) गुना की दर से की जाएगी। ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन सभी को परीक्षा/शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भले ही काबिलियत की परीक्षा/शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 2-1/2(2.5) से अधिक हो जाए।
7. **नकारात्मक अंकन :** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएँगे।

विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश, उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन होगा, साथ ही पूर्णतः अस्थायी होगा।
- 1.2 उम्मीदवार को मात्र ई-बुलावा पत्र भेजे जाने का अर्थ यह नहीं है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार मानी गई है।
- 1.3 रेलवे भर्ती बोर्ड, परीक्षा के सभी चरणों में योग्य होने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी

- को अस्वीकार कर सकता है, यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- 1.4 इस अधिसूचना की प्रतिक्रिया में पद (पदों) हेतु आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित अन्य पात्रताओं से स्वयं संतुष्ट हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत आवेदन पंजीकृत किए जाने की अंतिम तिथि 07.04.2019 तक उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता है। वे उम्मीदवार पात्र नहीं माने जाएँगे, जिनकी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के विरुद्ध सूचना तथा/ अथवा तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड तथा रेलवे भर्ती सेल की आगे की सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेलद्वारा जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया गया है, जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन न करें। ऐसे उम्मीदवारों का संज्ञान होते ही भर्ती के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 1.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का उल्लेख केवल अपने मैट्रिक/ एसएसएलसी/ हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाणपत्र के अनुसार ही करना चाहिए। नाम परिवर्तित होने की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का उल्लेख ही करना चाहिए। तथापि, मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों में दिए गए अन्य विवरण अवश्य अनुकूल होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज़, दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- 1.8 उम्मीदवार द्वारा सभी दस्तावेज़ों पर अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक/ बड़े अक्षरों अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, आशुलिपि कौशल परीक्षा, काबिलीयत की परीक्षा/ / शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापनइत्यादि के समय विभिन्न स्वरूपों में किए जाने वाले हस्ताक्षरों के परिणामस्वरूप उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 1.9 भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट पर भी परीक्षा की तिथि का प्रकाशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, आशुलिपि कौशल परीक्षा, काबिलीयत की परीक्षा/ / शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाक के द्वारा कोई भी बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। बुलावा पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम है। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अभिक्षमता परीक्षा, टंकण परीक्षा और/ या अतिरिक्त दस्तावेज़ सत्यापन आदि आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 1.10 केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में उल्लिखित रिक्तियाँ अस्थाई हैं तथा यह बढ़ या घट सकती हैं या शून्य भी हो सकती हैं या किसी विशेष रेलवे/ इकाइयों/ समुदाय/ पदों के संबंध में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बाद में बदल सकती हैं। बाद के स्तर पर भी रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।

रेलवे प्रशासन के पास अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा सभी पर ऐसे निर्णय अंतिम एवं प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियाँ रद्द किए जाने की स्थिति में परीक्षा में भाग ले चुके उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान की गई शुल्क की धन वापसी नहीं की जाएगी। शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त श्रेणियों की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें।

- 1.10.1 पद और / या रेलवे (रेलों) / यूनिट के लिए वरीयता : चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के विकल्प, जिनके लिए वे योग्य हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएँगे। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/ यूनिट आवंटित करेंगे, जो केवल योग्यता और रिक्ति की स्थिति के अधीन होंगे। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता / पसंद के अनुसार पैनल में रख लिया जाता है, तो वे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के किसी अन्य पद / श्रेणी के लिए विचार किए जाने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। अगर कुछ पदों के लिए गैर-विकल्प को चुना जाता है तो उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा। यद्यपि, प्रशासनिक हित में आवश्यक माना जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भी उम्मीदवारों को पद/ रेलवे/ यूनिट को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो कि संबंधित पद की आवश्यकताओं को उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के द्वारा पूर्ण करने के अधीन होगा। पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कमी या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन कर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्य योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा जोनल रेलवे/ उत्पादन इकाई को करना है, जहाँ से ऐसी अनुशंसा की प्रक्रिया में रिक्तियों तथा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी मानदंडों के प्रति संतुष्ट होने के पश्चात् नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।
- 1.13 जहाँ निर्धारित हो उन मामलों में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण की अवधि के दौरान केवल लागू वज़ीफ़ा का ही भुगतान किया जाएगा।
- 1.14 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्यग्रहण के समय यथा लागू प्रतिभूति तथा/ अथवा क्षतिपूर्ति बांड भरना होगा।
- 1.15 सामान्यतः रेल कर्मियों की नियुक्ति, उनके पूर्ण सेवा काल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहाँ उनकी पहली नियुक्ति की गई थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तथापि सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल कर्मियों को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 1.16 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 1.17 सिर्फ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मुफ्त स्लीपर क्लास रेलवे पास स्वीकार्य होगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो यह मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हाँ' भरना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपलोड किए गए वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण के आधार पर, चयन के विभिन्न चरणों यथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, आशुलिपि कौशल परीक्षा, काबिलीयत की परीक्षा/ शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (जैसा भी लागू हो) में भाग लेने के लिए जारी ई-बुलावा पत्र में मुफ्त शयनयान श्रेणी रेलवे पास भी शामिल होगा। मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करनेवाले

उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा के लिए तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा/ अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाणपत्र की माँग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.18 आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में केंद्रीकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/ संशोधन/ संवर्धन का समावेश करने का अधिकार रेलवे भर्ती बोर्ड को है।

1.19 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

2.0 रिक्तियाँ:

2.1 सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पद मानदंडों अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) अनुलग्नक-ए में शामिल हैं।

2.2 एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्त पदों के लिए आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे/ यूनिट और पदवार रिक्तियाँ अनुलग्नक-बी में शामिल हैं।

2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का पैरा 1.10 देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद (पदों) से संबंधित कार्यों को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। चिकित्सा मानक नीचे उल्लिखित है :-

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	बी -1	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 4डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
2	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 2डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ पढ़ने या करीबी काम करने के लिए चश्मा आवश्यक है।
3	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के शून्य। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ।

टिप्पणी: उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अध्ययन कर लें, जो www.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे ए2, ए3, बी1 तथा बी2 के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 534 में वर्णित मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार वे पात्र हैं। चयनित पदों के लिए निर्धारित मेडिकल उपयुक्तता उत्तीर्ण करने में विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को उस पद के लिए पैनल में रखने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

- क. भारत का नागरिक, अथवा
- ख. नेपाल का मूल निवासी, अथवा
- ग. भूटान का मूल निवासी, अथवा
- घ. तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है अथवा
- ङ. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी निवासी की तरह निवास कर रहा है।
- च. बशर्ते यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) की श्रेणी से संबंध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा :

- 5.1 रिक्ति सारणी में दिए गए सभी निर्धारित पद (पदों) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु का आकलन 01.07.2019 की तिथि के अनुसार किया जाएगा।
- 5.2 विभिन्न आयु वर्ग के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दिए गए दिनांक के बीच होनी चाहिए (दोनों तिथियाँ मिलाकर):

आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा(इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा(इससे पश्चात् नहीं) सभी समुदाय/ श्रेणी के लिए
	अना	अपिव(गैर क्रीमी लेयर)	अजा / अजजा	
18 से 30	02.07.1989	02.07.1986	02.07.1984	01.07.2001
18 से 33	02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981	01.07.2001
18 से 40	02.07.1979	02.07.1976	02.07.1974	01.07.2001
18 से 45	02.07.1974	02.07.1971	02.07.1969	01.07.2001
20 से 35	02.07.1984	02.07.1981	02.07.1979	01.07.1999

टिप्पणी: उपरोक्त तालिका में अजा, अजजा और अपिव- गैर क्रीमी लेयर के लिए दिए जन्मतिथि की सीमा में समुदाय आयु छूट शामिल है।

5.3 तथापि ऊपरी/अधिकतम आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित श्रेणियों/ समुदायों को अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	समुदाय/ श्रेणी	पूर्वस्नातक स्तरीय पदों के लिए ऊपरी आयु में छूट (या) अधिकतम आयु	
1	अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	अनुसूचित जाति / जनजाति	5 वर्ष	
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	अना	30 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	33 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		अजा/ अजजा	35 वर्ष और सुरक्षा में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
4	बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)	अना	10 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	13 वर्ष
		अजा/ अजजा	15 वर्ष
5	वह उम्मीदवार जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	अना	40 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	43 वर्ष
		अजा/ अजजा	45 वर्ष
7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	अना	30 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	33 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		अजा/ अजजा	35 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
8	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अना	35 वर्ष
		अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर	38 वर्ष
		अजा/ अजजा	40 वर्ष

5.4 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग- गैरक्रीमीलेयर उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.5 अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए लागू है।

5.6 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.7 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उसके मैट्रिक/ एसएसएलसी / दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के **अनुलग्नक-क** में दर्शाए गए अधिसूचित पदों के लिए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्था से प्राप्त अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। उन उम्मीदवारों को **आवेदन नहीं करना चाहिए**, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

क्र. सं.	उम्मीदवार का समुदाय	शुल्क
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लिए रु. 500/- रुपए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु.500/- में से रु.400/- की शुल्क राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसीकी जाएगी।	रु. 500/-
2	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग व्यक्ति/ महिलाएँ/ ट्रांसजेंडर/अल्पसंख्यक/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में लागू बैंक प्रभार काटकर शेषराशि की वापसीकी जाएगी।	रु.250/-

7.1 शुल्क के भुगतान का माध्यम :

क. डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से शुल्क का ऑनलाइन भुगतान।

ख. निम्नलिखित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है:-

- भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में एसबीआई बैंक चालान के माध्यम से।
- किसी भी कंप्यूटरीकृत डाक घर में पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान के माध्यम से।

7.2 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय :

ऐसे उम्मीदवार, जो दिनांक 07.04.2019 के 23.59 बजे तक पंजीकरण किए हैं, उन्हें ऑफलाइन भुगतान दिनांक 11.04.2019 के 13.00 बजे तक तथा ऑनलाइन भुगतान दिनांक 13.04.2019 के 23.59 बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान के पश्चात्, ऐसे उम्मीदवार दिनांक 16.04.2019 के 23.59 बजे तक या उससे पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

उम्मीदवार द्वारा शुल्क भुगतान के लिये प्रत्येक लागू सेवा प्रभारों का वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान उपर्युक्तानुसार ऑफलाइन विधि अर्थात् पैरा 7.1 (ख) 1 एवं 2 के अनुसार किए जाने की स्थिति में रसीद संभालकर रखी जानी चाहिए। यह रसीद दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान माँगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 7.3 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/ विलोपन/ संवर्धन प्राप्त न होने की शर्त पर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) शामिल होंगे। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 7.4 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदन की तिथि को निर्धारित प्रारूप में अथवा आवेदन जमा करने के पहले जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर जारी वैध आय प्रमाणपत्र होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जमा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बीपीएल कार्ड तथा इज़्जत एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे। शुल्क में रियायत का दावा करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रासंगिक प्रमाणपत्र / कार्ड संख्या, जारी तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, स्थान तथा जारीकर्ता राज्य संबंधित जानकारी भरनी चाहिए।
- 7.5 प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (रु.400/- या रु. 250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया है या वे वैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान किया है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा, लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात् वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया है, उन्हें लाभार्थी खाते का विवरण अर्थात् लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना चाहिए, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं। सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और रेलवे भर्ती बोर्ड इस संबंध में उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा।
- 7.6 जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

- 8.1 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)- गैरक्रीमीलेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा विद्यमान नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- 8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों के संबंध में ही विचार किया जाएगा।
- 8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैरक्रीमीलेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनुलग्नक-1 (अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए) तथा

अनुलग्नक-II (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) तथा दिनांक 27.05.2013, दिनांक 13.09.2017 एवं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबद्ध नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी संबद्धता अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से होना सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान,समुदाय प्रमाणपत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग) प्रस्तुत किए जाने के अलावा **अनुलग्नक II-ए** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं हैं। प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र,दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/ उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण :

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय ` 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो:

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट ;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक-III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

- क) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
- ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा
- घ) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर पृष्ठ 42 पर दिए गए **अनुलग्नक -III** के अनुसार ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए होना चाहिए, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 07.04.2019 है। इन शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि सामान्य (अन-आरक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत माना जाएगा।

8.5 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में अनारक्षित रिक्तियों के प्रति भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

तथापि उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी तथा अनारक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करते समय, उन्हें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर के लिए लागू आयु सीमा छूट सहित अन्य कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

8.6 केंद्रीकृत रोज़गार सूचना जारी किए जाने की अंतिम तिथि तक ही समुदायस्थिति के संबंध में आरक्षण लाभ प्रदान करने के लिए पात्र होने की स्थिति में विचार किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदायस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण :

9.1 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

9.2 भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई है।

9.3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियाँ अलग-अलग समुदायवार आवंटन के बिना दिखाई जाती हैं, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित है।

9.5 दिव्यांग उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी दिव्यांगता के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि दिव्यांग के लिए निर्धारित है।

9.6 दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरा गया, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियाँ के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

यद्यपि केंद्रीकृत सूचना में बताए बैक लॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा जिन के लिए उपयुक्त है। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो दिव्यांग नहीं हो) द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.):

10.1 भूतपूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है तथा

क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)

ख. ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)

ग. जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)

घ. जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)

ङ. सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)

च. वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14.04.1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)

छ. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)

ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति

को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो केंद्रीय रोज़गार सूचना की ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 07.04.2020 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 07.04.2019 को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

- 10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोज़गार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग/घ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोज़गार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएँगे। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
- 10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोज़गार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएँगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने कि स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।
- 10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा (आईआरएमएम) के खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण :

- 11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने अनु दिव्यांगता विवरण सहित 'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत, पद मापदंडसारणी (अनुलग्नक-ए) में दर्शाए गए हैं।
- मानक दिव्यांगता :- दिव्यांगत व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-
- (क) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना;
 - (ख) बधिर और कम सुनाई देना ;
 - (ग) गति अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुछ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं;
 - (घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता ;
 - (ड.) प्रत्येक अक्षमता के लिए निश्चित पदों हेतु बधिर-नेत्रहीन सहित खंड(क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु अक्षमताएँ।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषानिम्नानुसार है :-

11.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा:-

1. शारीरिक अक्षमता :-

(क) गति अक्षमता (स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता है, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति होया दोनों हों), जिसमें :-

- (क) "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है:-
- (i) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात;
- (ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता, जिससे सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों ;
- (iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए।
- (ख) "प्रमस्तिक पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है।
- (ग) "बौनापन"- अर्थात चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति है, परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147सेंटीमीटर) या कम होती है;
- (घ) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह है, जो मानव शरीर के मांसपेशी को कमजोर करता है और व्यक्तियों में बहु दुर्विकास के साथ जीन में गलत और कम जानकारी रहती है, जो जीन में स्वस्थ मांसपेशीके लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशी की कमजोरी को बढ़ाना, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्युइसके लक्षण हैं।
- (ङ.) "एसिड हमले का शिकार" - अर्थात एसिड या उसी प्रकारके संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण सेविकृत व्यक्ति है।

ख)दृष्टि क्षीणता-

(क) दृष्टिहीनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

- (i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव ; या
- (ii) बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्त्रेलन) से कम हो; या
- (iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(ख) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है:-

- (i) बेहतर आँख की दृश्यता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से 3/60 तक या 10/200 स्त्रेलन से अधिक हो ; या
- (ii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक कम होना।

(ग) श्रवण क्षति—

(क) "बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 70 डीबी बहरापन है।

(ख) 'कम सुनना' अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी बहरापन है।

(घ) (1) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या स्नायविक कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक अक्षमता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कामकाज (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूल व्यवहार, जिसमें प्रतिदिन के कामकाज में सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं।

(क) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" अर्थात् विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(ख) "स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)" अर्थात् स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और यह हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

(3) मानसिक व्यवहार --

"मानसिक बीमारी" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में पर्याप्त विकार, जिसमें निर्णय क्षमता अति प्रभावित रहती है, जिसके कारण व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित रहती है, परंतु जिसमें मंदता शामिल नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण बुद्धि की उप सामान्यता है।

(4) अक्षमता निम्न के कारण हुआ --

क) पुरानी स्नायविक स्थिति, जैसे-

i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस)" मतलब सृजनयुक्त तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें दिमाग के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर फैले हुए माइलिन आवरण तथा रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण माइलिन रहित तथा दिमाग के तंत्रिका ऊतकों और रीढ़ की हड्डियों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाली स्थिति बनती है;

ii) "पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अधेड़ उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, जिसमें दिमाग के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है।

ख) रक्त विकार --

i) "हीमोफीलिया" एक अंतर्निहित बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित हो जाती है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे बच्चों में घातक रक्तस्राव होने लगता है;

ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसी अंतर्निहित रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचाने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द तथा कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचाने के कारण हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

(5) बहु अक्षमताएँ (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने तथा देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

(6) अन्य कोई कोटि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम

प्राधिकारी: केवल वही व्यक्ति अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40% से कम नहीं है। छूट और/ या आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 15.06.2017 के अक्षमता नियम के साथ अक्षमता के अधिकारों के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18 (1) के फार्म V, VI और VII के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी) को देखें। अक्षमता के अधिकारों के अधिनियम 1995 के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 लेखक (स्क्राइब) की सहायता: ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है/एक हाथ वाले उम्मीदवार/ मांसपेशियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख ऑनलाइन फार्म में करना चाहिए।

स्क्राइब की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती हैं :-

क) उम्मीदवार को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

ख) जिस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की सहायता प्राप्त की गई है उस अधिसूचना के अंतर्गत स्क्राइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। किसी एक स्क्राइब की सेवाएँ एक से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्क्राइब और उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। इसके प्रति किए गए उल्लंघन की जानकारी किसी स्तर पर होने की स्थिति में स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को अयोग्य माना जाएगा।

ग) स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक V(डी) के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड ई-बुलावा पत्र जारी कर सके और उस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटोलाना होगा।

घ) उम्मीदवार के साथ में आने वाले स्क्राइब के लिए अलग से ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा।

ङ) परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

च) स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

(ज) वे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे सीबीटी केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर, स्क्राइब के लिए निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन करते हुए स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपात स्थितियों में भी स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति, आपात कारणों को विधिवत दर्जकरने, संबंधित विवरणों को भरने और अनुलग्नक V(डी) के अनुसार नए स्क्राइब की फोटो चिपकानेके उपरांत दी जा सकती है।

- 11.5 एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 11.6 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरे उतरेंगे।
- 11.7 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित होने की स्थिति में जब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति-गैर क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत से युक्त पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी।

आरक्षण / छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष टिप्पणी:

ऐसे सभी उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/ दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिकश्रेणी में आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केंद्रीकृत रोजगार सूचना में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट प्राप्त करने की अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उन्हें अपने दावे के समर्थन में केंद्रीकृत रोजगार सूचना/ नियम में निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज अपने साथ लाना चाहिए।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी):

- 12.1 रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। **शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।**
- 12.2 उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है।

13.0 भर्ती प्रक्रिया :

- 13.1 उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा **केवल एक ऑनलाइन आवेदन** (चयनित आरआरबी में सभी अधिसूचित पदों के लिए समान) प्रस्तुत करना है।
- 13.2 भर्ती की प्रक्रिया में एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी, इसके बाद स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (SST) / ट्रांसलेशन टेस्ट (TT) / परफॉरमेंस टेस्ट (PT) / टीचिंग स्किल टेस्ट (TST) (जैसा कि लागू

हो) और तत्पश्चात्, दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्स्क जाँच होगी।रेलवे भर्ती बोर्ड एकल या कई चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओंके संचालन का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

- 13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट (SST) / ट्रांसलेशन टेस्ट (TT) / परफॉरमेंस टेस्ट (PT) / टीचिंग स्किल टेस्ट (TST) (जैसा कि लागू हो) और तत्पश्चात्, दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्स्क जाँच या यथा लागू अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवारों को विधिवत् दी जाएगी। उक्त में से किसी भी क्रियाकलाप का स्थगन, स्थान तिथि तथा पारी में परिवर्तन में बदलाव से संबंधित अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13.4 एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों के लिए 90 मिनट की अवधि और पीडब्लूडी उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट का होगा जो कि जो स्क्राइब सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।जूनियर स्टेनोग्राफर / हिंदी और अंग्रेजी के पदों के लिए प्रश्न पत्र के संबंध में, कृपया नीचे दिए गए पैरा 13.11 में दिए गए विवरण देखें।
- 13.5 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।
- 13.6 एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का मानक सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा।व्यावसायिक योग्यता से संबंधित प्रश्न अनुलग्नक-X से XX पर उल्लिखित हर अधिसूचित पद के पाठ्यक्रम से होंगे।
- 13.7 अनुभाग-वार अंक: नीचे दिए गए प्रश्नों की संख्या और अंक विस्तृत हैं (जूनियर स्टेनोग्राफर / हिंदी और अंग्रेजी पदों की सीबीटी को छोड़कर, जिसके लिए नीचे दिए गए पैरा 13.11 में दिए गए विवरण का उल्लेख करें):

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक आवंटित
व्यावसायिक योग्यता	50	50
सामान्य जागरूकता	15	15
सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	15	15
गणित	10	10
सामान्य विज्ञान	10	10
Total	100	100

प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है।वहाँ नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएँगे।

- 13.8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं:

क गणित:

अंक प्रणाली, बॉडमस, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी इत्यादि।

ख सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, समानताएँ और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, पहेली, आँकड़ापर्याप्तता, कथन-निष्कर्ष, कथन-निर्णय लेना, निर्णय, नक्शा, आलेखों की व्याख्या इत्यादि।

ग सामान्य विज्ञान:

भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम)।

- 13.9 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : अनारक्षित -40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) - 30 %, अनुसूचित जाति -30 %, अनुसूचित जनजाति -25%। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में दिव्यांग उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2% की छूट प्रदान की जाएगी।
- 13.9.1 जहां एक दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को आवश्यक और आयोजित माना जाता है, रेल भर्ती बोर्ड दूसरे चरण के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को एक योग्यता परीक्षा के रूप में मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 13.10 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये सामान्यीकृत अंकों का उपयोग आशुलिपिक कौशल परीक्षा / शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) पदों के लिए के लिए उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाएगा।
- 13.11 जूनियर स्टेनोग्राफर (हिंदी) और जूनियर स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के प्रश्न पत्र में केवल दो भाग होंगे। सीबीटी के लिए पेपर के विषय, प्रश्नों की संख्या, अनुमत समय, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नानुसार होंगे:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रश्नों (कहां - तक)	कुल अंक	समय अवधि
I	सामान्य जागरूकता	50	1 से 50	100	90 मिनट
II	हिंदी या अंग्रेजी भाषा	50	51 से 100	100	

सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से भाग I और II (दोनों विषयों) करने होंगे। दोनों विषयों के लिए एक ही समग्र पेपर होगा। उम्मीदवारों को आवश्यक रूप से प्रत्येक दो विषयों में अलग-अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

भाग-I सामान्य जागरूकता भाग के प्रश्न गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम से होंगे जैसा कि उपरोक्त पैरा 13.8 में वर्णित है।

भाग-II (आवेदन पत्र में भरे गए विकल्प के अनुसार या तो हिंदी या अंग्रेजी) -व्याकरण सहित हिंदी / अंग्रेजी की भाषा कौशल और ज्ञान की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का

पाठ्यक्रम अनुलग्नक - VIII से IX में दिया गया है।सीबीटी के अतिरिक्त शॉर्टहैंड टेस्ट होगा, जो 300 अंक का होगा।सीबीटी की मेरिट के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना के बराबर अभ्यर्थियों को आशुलिपिक परीक्षा (आशुलिपिक कौशल परीक्षा) के लिए बुलाया जाएगा।

उम्मीदवारों को नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार आशुलिपिक कौशल परीक्षा पास करनी होगी :

आशुलिपिक के प्रकार	गति	अवधि	प्रतिलेखन समय
अंग्रेजी	80 शब्द प्रति मिनट (शब्द प्रति मिनट)	10 मिनट	50 मिनट
हिंदी	80 शब्द प्रति मिनट (शब्द प्रति मिनट)	10 मिनट	65 मिनट

आशुलिपि कौशल परीक्षा केवल एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक सुविधा के बिना पर्सनल कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी।उनके दिशा निर्देशों के लिए, जो लोग हिंदी में कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, कृतिदेव और मंगल फ्रॉन्ट को पर्सनल कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

जैसा कि आशुलिपि कौशल परीक्षा के प्रतिलेखन शीट के मूल्यांकन के अनुसार, प्रत्येक पूर्ण या प्रमुख गलतियों होने पर, उम्मीदवार एक अंक खो देंगे।इसी तरह, आधी या छोटी गलती से आधे अंक की कटौती होगी।गलतियों की अधिकतम संख्या (पूर्ण / प्रमुख या आधी / छोटी दोनों एक साथ जोड़े गए) बोलकर लिखने वाले निर्धारित कुल शब्द के 10% तक की अनुमति हैं।इसका मतलब होगा कि 10% से अधिक गलतियां करने वाले उम्मीदवारों को असफल माना जाएगा।प्रतिलेखन और गलतियों की प्रकृति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया नीचे सविस्तार दी गई है: -

(I) पूर्ण गलतियां :

- क) एक निश्चित या अनिश्चित लेख की चूक सहित किसी शब्द या आकृति की हर चूका यदि शब्दों के एक समूह को छोड़ दिया जाता है, तो छोड़े गए शब्दों की वास्तविक संख्या के रूप में कई गलतियों को चिह्नित करें।
- ख) प्रत्येक गलत शब्द या आकृति का प्रतिस्थापन।गलतियों की संख्या बोले गए शब्दों / आंकड़ों की संख्या के बराबर होगी, जिसे अन्य शब्द (दों) / आकृति (यों) द्वारा प्रतिस्थापित / बदला गया है।
- ग) किसी शब्द या आकृति का प्रत्येक जोड़ या शब्दों का समूह या आंकड़े जो अंश में नहीं हैं।

(II) आधी गलतियां:

- क) गलत वर्तनी, एक शब्द में अक्षरों का आदान-प्रदान सहित और एक शब्द से एक अक्षर या अक्षरों की भी चूका।तथापि, उचित संज्ञा और अपरिचित नामों की गलत वर्तनी की अनदेखी की जा सकती है।
- ख) बहुवचन संज्ञा और इसके विपरीत के लिए एकवचन का उपयोग करना।
- ग) वाक्य की शुरुआत में बड़े या छोटे अक्षरों का गलत उपयोग।

- ध्यान दें:(क) सभी त्रुटियों को गिना जाता है लेकिन एक शब्द में गिनी गई कुल गलतियाँ एक पूर्ण गलती से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ख) ऊपर वर्णित के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटियों या गलतियों के लिए उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जाएगा।
- (ग) परीक्षा के लिए कंप्यूटर और आशुलिपि नोटबुक परीक्षा संचालन एजेंसी (ईसीए) द्वारा प्रदान की जाएगी और उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा पूरी होने के बाद प्रयोग की गई आशुलिपि नोटबुक को परीक्षा झूठी पर परिचालक को सौंपना होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों को अपना कुंजी बोर्ड लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (घ) उम्मीदवारों को संपादन उपकरण और वर्तनी जाँच सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

13.11.1 सीबीटी और आशुलिपि कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जूनियर स्टेनोग्राफर के पद के लिए योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी।

13.12 जूनियर अनुवादक / हिंदी :

एक एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद एक योग्यता अनुवाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिंदी भाषा का ज्ञान दोनों का समान रूप से परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। कम से कम 50% प्रश्नों को भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा - अंग्रेजी के लिए 20% और हिंदी के लिए 30%। शेष प्रश्नों को सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, सरल अंकगणित और कंप्यूटर की मूल बातें जांच के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

अनुवाद परीक्षा

(i) अनुवाद परीक्षा मुख्य परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार सीबीटी की योग्यता के आधार पर, विधिवत आरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुवाद परीक्षा के लिए रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।

(ii) अनुवाद परीक्षा केवल एक योग्यता परीक्षा होगी और योग्यता उत्तीर्ण अंक 60% होंगे।

13.12.1 जूनियर अनुवादक की मेरिट लिस्ट अकेले सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। जो लोग 60% अंकों के साथ अनुवाद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

13.13 काबलियत की परीक्षा / अध्यापन कौशल टेस्ट

13.7 पर बताये गए 100 अंकों के सीबीटी के अलावा, शिक्षक काबलियत परीक्षा (PT) और शिक्षण कौशल परीक्षा (TST) के अधीन होंगे।

स्नातकोत्तर शिक्षक (पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर), शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (PTI) और सहायक अध्यापिका (जूनियर स्कूल) के लिए भर्ती लिखित परीक्षा (CBT) और शिक्षण कौशल परीक्षा के आधार पर 85:15 के अनुपात में की जाएगी।

प्राथमिक शिक्षक (संगीत), प्राथमिक शिक्षक (नृत्य) और कला अध्यापक (पीजीटी / टीजीटी) के पद के लिए लिखित परीक्षा (सीबीटी), क्राबलियत परीक्षा और कौशल परीक्षा का महत्व क्रमशः **60:25:15** के अनुपात में होगा।

शिक्षण कौशल परीक्षा:- शिक्षण कौशल परीक्षा, शिक्षण की क्षमता, शिक्षण पद्धति, सामग्री विशेषज्ञता, सामग्री की उपयुक्तता, अनुशासन में हाल ही में विकास का समावेश, संवाद कौशल, प्रस्तुति कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल, विषय वस्तु की समझ, समस्या सुलझाने की क्षमता, निर्णय लेने, रचनात्मकता, नेतृत्व और प्रेरणा की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को समिति के सामने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से अपने विषय के कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। समिति द्वारा मौके पर ही विषय तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और कौशल परीक्षा के बिंदु पर उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी अन्य शिक्षण सहायता का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। कौशल परीक्षा समिति द्वारा तय किए गए 15 से 30 मिनट के बीच होगा। कौशल परीक्षा समिति द्वारा तय किए गए 15 से 30 मिनट के बीच होगा। कौशल परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे। तथापि, कुल अंकों में कौशल परीक्षा का महत्व 15% होगा। ऐसी संभावना है कि कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी की जा सकती है।

काबिलियत की परीक्षा: प्राथमिक शिक्षक (संगीत) और प्राथमिक शिक्षक (नृत्य) को गायन के कौशल, विभिन्न वाद्य संगीत बजाना, नृत्य का प्रदर्शन, प्रस्तुति कौशल, समन्वय, अभिव्यक्ति, ऊर्जा स्तर, ताल, कला रूपों के साथ प्रयोग, कल्पना तथा नवोन्मेष तथा कलात्मक स्वभाव के आधार पर चुना जा सकता है।

कला अध्यापकों (पीजीटी / टीजीटी) को कला रूपों, चित्रों / नमूने, अभिनव और रचनात्मक दृष्टिकोण, सौंदर्यबोध संवेदनशीलता, अवलोकन कौशल, व्याख्या और मौलिकता, वास्तविक जीवन के साथ सहसंबंध, विभिन्न कला विधाओं और माध्यमों के साथ अनुभूति, आकार और स्पष्टता में अनुपात और रंग का महत्व, संतुलन और चमक के प्रदर्शन पर ठहराया जा सकता है।

उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और क्राबलियत परीक्षा के स्थान पर उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी शिक्षण सहायता का उपयोग करने के लिए पूछा जाएगा।

क्राबलियत परीक्षा 100 अंकों की होगी। क्राबलियत परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे। तथापि, क्राबलियत परीक्षा का महत्व कुल अंकों का 25% होगा। ऐसी संभावना है कि क्राबलियत परीक्षा की वीडियोग्राफी की जा सकती है।

13.5 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तथा आशुलिपि कौशल परीक्षा, क्राबलियत परीक्षा / अध्यापन कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा कि लागू होता है), में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के 50% (आरआरबी के निर्णय के आधार पर वृद्धि या कमी हो सकती है) के बराबर उम्मीदवारों को भी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तथापि इन अतिरिक्त उम्मीदवारों को तभी पैनल में रखने के लिए माना जाएगा, जब योग्यता सूची में/ या कार्यकारी पद पर अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण कमी के विरुद्ध प्रतिस्थापन हो और/ या कोई अन्य विशेष आवश्यकता हो। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक हासिल करने के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड से निर्धारित की जाएगी, अर्थात् उम्र में बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो बराबरी की स्थिति को दूर करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (A से Z) को ध्यान में रखा जाएगा।

13.15 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन/आरआरबी द्वारा आयोजित की जा रही अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासनों द्वारा की जाती है।

13.16 यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) में सफल सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाता है। अतिरिक्त उम्मीदवारों द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सफल होना (जिन्हें अधिसूचित रिक्त पदों की संख्या से अधिक में डीवीके लिए बुलाया) ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए विचार करने का कोई अधिकार नहीं देगा।

14.0 अंकों का सामान्यीकरण :

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगी। आशुलिपि कौशल परीक्षा, क्राबलियत परीक्षा / अध्यापन कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा कि लागू होता है) / डीवीके लिए अपनाई गई सामान्यीकरण विधि का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में है।

14.1 बहु-सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना:

सीबीटी, परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जा सकती है। इन बहुक्रिया सत्रों के लिए, विभिन्न सत्रों में प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तरों में किसी भी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त सामान्यीकरण लागू किया जाएगा।

बहु सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना हेतु सूत्र नीचे दिया गया है:

i^{th} सत्र में j^{th} उम्मीदवार का सामान्यीकृत अंक M_{ij} द्वारा दिया जाता है :

$$\bar{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{M_{ii} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : i^{th} सत्र में j^{th} उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक।

\bar{M}_i^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक हैं।

M_q^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए पेपर में उम्मीदवारों के माध्य और मानक विचलन अंकों का जोड़ है।

\bar{M}_{ii} : i^{th} सत्र में टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक या यदि सत्र की संख्या 1000 से कम हो, तो टॉपों के अंक हैं।

M_{iq} : i^{th} सत्र के माध्य अंक और मानक विचलन का जोड़ है।

15.0 आवेदन कैसे करें :

क) उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित पदों के लिए पैरा 20.0 पर सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ख) रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर इस सीईएन के लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ लें।

ग) आवेदन भरने से पहले जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज़ तैयार रखें। उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए आवेदन वाले पेज पर लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ डिजिटल फार्म में तैयार रखना चाहिए:-

- उम्मीदवार का फोटो: 20केबी से 50केबीआकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1(0)(3) देखें।
- उम्मीदवार का हस्ताक्षर: 10 केबी से 40 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया हस्ताक्षर के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1(0)(5) देखें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल निःशुल्क यात्रा पास माँगनेवाले उम्मीदवारों के लिए) :

50 केबी से 100 केबी आकार का जेपीईजी इमेज।

- स्क्राइब फोटो (जहाँ लागू हो) : 20केबी से 50केबीआकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (0)(3) देखें।

उम्मीदवार की योग्यता और आरक्षण कोटि के लिए रेलवे भर्ती बोर्डवार रिक्तियों की जाँच करें : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा) के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्ड में अधिसूचित रिक्तियों का पता लगाने के लिए इस सीईएन में पद मापदंड तालिका और रिक्ति तालिका की जाँच करें और यह सुनिश्चित करें कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में वे ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं, वहाँ, उनकी शैक्षणिक योग्यता, समुदाय / श्रेणी और आयु, चिकित्सा मानकों, विकलांगता आदि के संदर्भ में पात्रता के लिए रिक्तियां हैं।

ड) पद मानदंड और रेलवे भर्ती बोर्डवार रिक्तियों को शीघ्र उनकी पात्रता के अनुसार पहचानने के लिए पद मानदंड तालिका और रिक्ति तालिका के लिए टैब पर क्लिक करें और निम्नानुसार करें:

- पद मानदंड तालिका:-पद मानदंड तालिका के ऊपर क्लिक करें। पद मानदंड तालिका से उम्मीदवार पद (पदों) का पता लगा सकते हैं कि वे समुदाय, योग्यता एवं श्रेणी जैसे पीडब्ल्यूबीडी तथा आवश्यक चिकित्सा मानक इत्यादिके अनुसार किसके लिए पात्र हैं।
- रिक्ति तालिका : अपनी पात्रता के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित सभी पदों की रिक्ति का व्यापक विवरण का पता लगाने के लिए उम्मीदवार सर्च मेनू से रेलवे भर्ती बोर्ड की ड्रॉप डाउन सूची से रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर सकते हैं और पात्रता मापदंडों का चयन करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी विभिन्न रेलवे/इकाइयों के अधिसूचित पदों की सभी रिक्तियों को देख सकते हैं।
- रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता और समुदाय/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक कोटि के लिए विद्यमान रिक्तियों को विधिवत् सुनिश्चित करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड को तय कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।
- एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन हो जाने के पश्चात् प्रारंभिक पंजीकरण पूरा हो जाता है और पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाती है, इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

च) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत विवरण/बायो-डेटा, शुल्क आदि को ध्यानपूर्वक जमा करना है। उन्हें पद, रेलवे/उत्पादन इकाई के लिए अपने विकल्प/वरीयता का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होगी।

छ) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें:

- इस सीईएनमें कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पदवार और रेलवे/ उत्पादन इकाईवार वरीयताओं को बहुत सावधानी से दर्शाना आवश्यक है। एक बार ऑनलाइन आवेदन में प्रयोग किए गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद और रेलवे/उत्पादन इकाई के लिए विकल्प के प्रयोग में सावधानी बरतें। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को योग्यता और रिक्ति की स्थिति पद के विकल्पों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पद और रेलवे/उत्पादन इकाई आवंटित करेंगे। तथापि, प्रशासनिक अनिवार्यताओं/आवश्यकताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी पद/रेलवे को उम्मीदवार (रों) की उपयुक्तता के लिए आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट कोटियों के लिए माना जाएगा, क्योंकि कुछ कोटियों या सभी कोटियों के लिए गैर विकल्प उसके लिए उनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी। रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ भर्ती प्रक्रिया/पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट करके एवं संभालकर रखें।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएनके बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बारंबार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवारों को वैध दस्तावेज़ों के साथ यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

15.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण:

- उपर्युक्त पैरा 15.0 क, ख, ग व घ की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करें:
- क) उस रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करें, जहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं। कृपया ध्यान रखें कि प्रारंभिक पंजीकरण पूर्ण होने और पंजीकरण संख्या आबंटित होने के बाद एक बार चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को बदला नहीं जा सकता है।
- ख) चेक बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आपने निर्देश स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ लिया है। 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
- ग) पंजीकरण विवरण: सामान्य निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, एसएसएलसी/मैट्रिक/आईटीआई रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ई-मेल-आईडी दर्ज करें और तत्पश्चात् पंजीकरण के लिए जमा करें। उम्मीदवार आवेदन पत्र जमा करने के बाद भी चुने गए आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर आवेदन विवरण को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन संशोधन शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण के लिए उपयोग की गई ई-मेल आईडी स्वयं आपकी और अनन्य होनी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि ई-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया जाएगा।
- घ) ओटीपी के माध्यम से ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन: प्राथमिक विवरण प्रस्तुत करने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। इसके अलावा, पंजीकरण विवरण के साथ ओटीपी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजा जाएगा। उम्मीदवार को ई-मेल और मोबाइल से ओटीपी प्राप्त करना होगा और फिर आवेदन भरने और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा।
- उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान आगे के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण संख्या को नोट करें और संभाल कर रखें और पंजीकरण संख्या की माँग के लिए किसी भी अनुरोध पर रेलवे भर्ती बोर्ड विचार नहीं करेगा।
- ङ) उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके होम पेज पर "कैंडिडेट लॉगइन" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
- च) शैक्षणिक योग्यता, समुदाय, लिंग, धर्म, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आयु में छूट श्रेणी के विवरण, जो भी लागू हों और अन्य विवरण आवेदन पृष्ठ के भाग 1 में दें।
- छ) आवेदन पृष्ठ के भाग II में उम्मीदवार को पद की प्राथमिकता/ वरियता का विवरण भरना है:
- पदों के लिए प्राथमिकता / पसंद निर्धारित करें: यदि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए पात्र है, तो उसे इन पदों के लिए प्राथमिकता/वरियता निर्धारित करनी होगी। पदों की सूची (चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में) जिसके लिए एक उम्मीदवार पात्र है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह यदि चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक रेलवे/उत्पादन इकाई के लिए रिक्तियाँ हैं, तो ऐसी सभी रेलवे/उत्पादन इकाइयों के लिए रिक्तियाँ, जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, को सूचीबद्ध किया जाएगा। जिस रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, उसके जिन पदों के लिए वे पात्र हैं, उसके प्रत्येक पद के लिए टेक्स्टबॉक्स में अपनी प्राथमिकता/ पसंद

संख्या को भरना होगा। आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही विचार किया जाएगा।

ज) **भुगतान और बैंक खाता विवरण :**

- i) उपर्युक्त अनुसार आवेदन विवरण पूरा होने पर उम्मीदवार को पैरा 7 में बताए गए अनुसार भुगतान विधि अर्थात् बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / यूपीआई और ऑफलाइन चालान) या पोस्ट ऑफिस चालान चुनने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। भुगतान की विधि का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। अगर ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उम्मीदवार को दूसरी बार भुगतान करना है। कृपया भुगतान की प्रत्येक विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।
- ii) बैंक-ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने वालों को भुगतान की पुष्टि में 2 घंटे लग सकते हैं और इसलिए उन्हें 2 घंटे बाद भुगतान की स्थिति की पुष्टि करने के लिए फिर से लॉग इन करना होगा।
- iii) डाकघर के भुगतान के मामले में भुगतान की पुष्टि की समय अवधि 24 घंटे से 48 घंटे तक होगी।

झ) **पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब:** यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। केवल नेत्रहीनों (VI) उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों की लेखन की गति सेरेब्रल पाल्सी/ पेशी अपविकास/ लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/ बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी) से पीड़ित होने के कारण प्रभावित है, वे इस सीईएन में स्क्राइब का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। स्क्राइब के रूप में जिस व्यक्ति की व्यवस्था की गई है, वह स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तथा वही स्क्राइब एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए संलग्न नहीं होना चाहिए।

ञ) **विस्तृत शैक्षणिक योग्यता:** आवेदन में आवश्यक योग्यता संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करें।

ट) **परीक्षा भाषा का चयन:** अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट भाषा है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से उसे चुना जा सकता है। भाषाओं की सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। अंग्रेज़ी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर / विसंगति / विवाद के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।

ठ) शेष खानों अर्थात् मातृभाषा, तिल/पहचान चिन्ह, पता इत्यादि को भरें।

ड) **धन की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण:** - पैरा 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है, उसी खाते में अपना धन वापसी प्राप्त करने की पुष्टि कर दिए हैं, उन्हें इन विवरणों को भरने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह उनके लिए दिखाई नहीं देगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने ऊपर दिए गए शुल्क भुगतान खाते के रूप में धन वापसी का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें उस लाभार्थी खाते का विवरण यथा ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना, जिसमें वे धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं।

- ढ) उम्मीदवार अन्य संगठनों में भर्ती के लिए उन मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।
- ण) फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना:
1. उम्मीदवार को स्वतः ही आवेदन के 'फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग के लिए निर्देशित किया जाएगा।
 2. 'अपलोड फ़ोटो' टैब का चयन करें और अपनी रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटोनिम्न अनुसार होनी चाहिए:-
 3. फ़ोटो के लिए विनिर्देश:
 - क. सफ़ेद/हलके रंग की पृष्ठभूमि के साथ रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए।
 - ख. उसका आकार 35 मिमी x 45 मिमी या 320 x 240 पिक्सेल होना चाहिए।
 - ग. यह जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
 - घ. फ़ोटो का आकार 20-50 केबीके बीच होना चाहिए।
 - ङ. रंगीन फ़ोटो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में दिनांक 15.12.2018को या उसके बाद लिया हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फ़ोटो और स्वयं के द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
 - च. फ़ोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह बिना किसी टोपी और धूप के चश्मे के हो।
 - छ. कैमरे में देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फ़ोटो का कम-से-कम 50% भाग में चेहरा होना चाहिए।
 - ज. चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढंका नहीं होना चाहिए।
 - झ. माथा, आँखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
 - ञ. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फ़ोटो में चश्मे पर कोई चमक/ परावर्तन नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - ट. फ़ोटो को सभी सीबीटी/ आशुलिपि कौशल परीक्षा, क्राबलियत परीक्षा / अध्यापन कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के दिनों में उम्मीदवार के चेहरे के साथ मेल खाना चाहिए।
 - ठ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल ऊपर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, न कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उपयोग पूरे शरीर का फ़ोटो।
 - ड. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान और जब भी आवश्यक हो, उसी फ़ोटो की कम-से-कम 12 (बारह) प्रतियाँ आगे उपयोग के लिए रखें।
 4. अपलोड सिग्नेचर टैब चुनें और अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर का इमेज निम्नलिखित विनिर्देशों के साथ होने चाहिए।
 5. हस्ताक्षर छवि के लिए विनिर्देश :
 - क. आवेदक को 50 मिमी x 20 मिमी आकार वाले बॉक्स में काले रंग की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
 - ख. हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।
 - ग. इमेज जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
 - घ. इसका आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।

ड.फ़ाइल का आकार 10केबी-40केबीके बीच होना चाहिए।

च. टिप्पणी: -

- i. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ii. आवेदकों के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सभी सीबीटी/ आशुलिपि कौशल परीक्षा, क्राबलियत परीक्षा / अध्यापन कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के समय प्राप्त हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
- iii. यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को रेलवे की भर्तियों (रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल) में उपस्थित होने के लिए जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

6. फ़ोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करना और आकार बदलना:

- क. स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 100 डीपीआई (डॉट्सप्रति इंच) पर सेट करें।
- ख. कलर को टू कलर पर सेट करें। ऊपर बताए अनुसार फ़ाइल का आकार रखें।
- ग. फ़ोटो/हस्ताक्षर के किनारे पर स्कैनर में इमेज को क्रॉप करें, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके इमेज को अंतिम आकार में लाएँ (जैसा कि ऊपर बताया गया है)।
- घ. इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ाइल के नाम का एक उदाहरण है: image01.jpg या image01.jpeg।
- ड. फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस को ले जाकर इमेज आयामों की जाँच की जा सकती है। उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या एमएस आफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके .jpeg फॉर्मेट में क्रमशः 50केबी और 40केबीके फ़ोटो और हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं।
- च. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर को .jpg फॉर्मेट में फ़ाइल मेनू में 'सेव एस' विकल्प का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है और आकार को क्रॉप का उपयोग करके और फिर 'इमेज' मेनू में आकार बदलने का विकल्प लेकर 50केबी (फ़ोटो) और 40केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फ़ोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।

त) अजा / अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करना :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट, 50केबी – 100केबी) की स्कैन की हुई प्रति निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपलोड करनी चाहिए।

ध्यान दें : यदि फ़ोटो, हस्ताक्षर और अजा/ अजजसमुदाय प्रमाणपत्र के लिए फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

थ) आवेदन जमा करना:

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी "मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह तरह पढ़ और समझ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि यदि किसी भी मामले में

कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य घोषित करेगा और/ या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।"

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को "पीडीएफ" के रूप में सुरक्षित कर सकता है और/या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

15.2 आवेदन में सुधार करना:

- क. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यदि उम्मीदवार आवेदन में असावधानीवश हुई गलती को सुधारने के लिए मामूली सुधार करना चाहते हैं, तो रेलवे भर्ती बोर्ड, ई-मेल और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य डेटा का सुधार 100/- रुपए (अप्रतिदेय) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके कर सकते हैं। संशोधन शुल्क, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा और यह शुल्क किसी भी श्रेणी के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
- ख. उम्मीदवार द्वारा अजा/अजजा से अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उन्हें परीक्षा शुल्क में अंतर का भुगतान करना होगा। अर्थात् संशोधन शुल्क के अलावा 250/- रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ग. इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार पूर्व सैनिक/पीडबल्यूबीडी/ महिला/ट्रांसजेंडर से अनारक्षित/ अन्य पिछड़ा वर्ग/गैर पूर्व सैनिक/गैर पीडबल्यूबीडी/ पुरुष आदि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 250/- रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ. पंजीकरण और आवेदन विवरण में संशोधन केवल दो बार ही किया जा सकता है।
- ङ. चेतावनी: जो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीईएनकी समापन तिथि और समय से पहले ही कर लें। यदि अंतिम समय की भीड़भाड़ के कारण संशोधन के प्रयास किसी भी स्तर पर विफल हो जाते हैं और किए गए संशोधन को सेव नहीं गया है या समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आवेदन में पहले प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया जाएगा और इस विषय में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- च. चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता है।
- छ. आवेदन के संशोधन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
 - i. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
 - ii. वास्तविक परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए उपलब्ध किसी भी मोड से संशोधन शुल्क का भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि भुगतान निर्धारित तिथि और समय के भीतर किया गया है।
 - iii. 'मोडिफाई एप्लीकेशन' बटन पर क्लिक करें।
 - iv. दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ें और आवेदन जमा करें। रिकॉर्ड के लिए नए आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

15.3 अमान्य आवेदन/निरस्त आवेदन:

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं:

क. अमान्य फ़ोटो के कारण जैसे काले एवं सफेद फ़ोटो, टोपी पहनकर खींची गई फ़ोटो और/या काले चश्मे, फ़ोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार की फ़ोटो, पूरे शरीर का फ़ोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा, फ़ोटो पहचानने योग्य न हो, फ़ोटो की फ़ोटोस्टेट कॉपी, ग्रूप फ़ोटो, सेल्फी फ़ोटो, मोबाइल द्वारा लिया गया फ़ोटो, संशोधित फ़ोटो और दूसरों के बीच खाली फ़ोटो।

ख. कैपिटल/ ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर।

ग. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं है।

घ. निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।

ङ. विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे मामलों में सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

च. किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।

छ. कोई अन्य अनियमितता जो रेलवे भर्ती बोर्ड के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।

टिप्पणी: उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार अस्वीकृति के लिए कारण के साथ अपनी स्थिति देख पाएँगे, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अस्वीकृति के कारण परीक्षा शुल्क की कोई वापसी नहीं की जाएगी। एसएमएस और ई-मेल अलर्ट उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर भी भेजे जाएँगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में सूचित किया गया है। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

16.0 सभी सीबीटी, एसएसटी /पीटी / टीएसटी / टीटी / डीवी के लिए हॉल टिकट (ई-बुलावा पत्र):

16.1 सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ई-बुलावा पत्र और अपलोड विवरण के संबंध में एसएमएस और ई-मेल सूचना भेजी जाएगी। डाक के द्वारा कोई भी बुलावापत्र नहीं भेजा जाएगा। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से एसएमएस और इमेल उम्मीदवारों को नहीं भेजे जा सकते जिनपर रेलवे भर्ती बोर्ड का नियंत्रण ना हो।

16.2 पात्र उम्मीदवार सभी सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन (यदा लागू)की तिथि के 10 दिन पहले से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से ई-बुलावा पत्र के साथ **अनुलग्नक V(डी)** (स्क्राइब के लिए घोषणा, जहाँ लागू हो) डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

16.3 उम्मीदवारों को ई-बुलावापत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

16.4 अजा/अजजा उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण अपलोड किए हैं, उनके सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन(यथा लागू) के ई-बुलावा पत्र में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र और अजा/आजजा प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करके टिकट सुरक्षित करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान यह उम्मीदवार अजा/ अजजा मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें विफल रहने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।

16.5 उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ई-बुलावा पत्र के साथ **वैध फ़ोटो पहचान पत्र** (यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट (आधार का फ़ोटो कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय

का फोटो पहचान पत्र) अगर वर्तमान में पढाई कर रहे हैं की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन(यथा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र में फोटो का मिलान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से होना चाहिए, इसमें विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन में शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।

16.6 उम्मीदवार को सीबीटी, सीबीएटी/टीएसटी, दस्तावेज़ सत्यापन(यथा लागू) में शामिल होने के लिए एक रंगीन फोटो भी (35 मिमी x 45 मिमी आकार का), जो कि आवेदन में अपलोड किया गया था, अवश्य ही लाना होगा।

16.7 उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आते समय ई-बुलावा पत्र में दिए गए खाली स्थान को स्व घोषणा अनुच्छेद (कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले होगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए खाली ही रखना होगा।

चेतावनी : उम्मीदवार को केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा परीक्षा केंद्र में वीक्षक के समक्ष ही परीक्षा कक्ष में स्व घोषणा का अनुच्छेद, हस्ताक्षर और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा समाप्त होने के पूर्व उसे वीक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर और / या पहले से स्व घोषणा अनुच्छेद लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

16.8 उम्मीदवार (रों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को रेलवे भर्ती बोर्ड स्वीकार नहीं करेंगे।

17.0 मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों के प्रारूप :

17.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेज़ों की स्कैन प्रतियाँ (टू कलर में) डीवी की तिथि से पहले www.rrbdv.in के माध्यम से अपलोड करना होगा।

17.2 सभी प्रमाणपत्र अंग्रेज़ी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/ अंग्रेज़ी में प्रमाणपत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहाँ/ जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनूदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

17.3 दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा की जाने वाली दस्तावेज़ निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए।

17.4 उम्मीदवार द्वारा सत्यापन के लिए मूल रूप में लाए जानेवाले दस्तावेज़ (यथा लागू) निम्नानुसार हैं :

1. जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक या हाई स्कूल प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाणपत्र। (आवेदन में उल्लेख किए गए उम्मीदवार के नाम, माता/ पिता के नाम प्रमाणपत्र में दिए गए नाम से मेल खाने चाहिए।)
2. 10+2/ इंटर/ हायर सेकेंडरी/पीयूसी/ समकक्ष प्रमाणपत्र (यथा लागू)।
3. विश्वविद्यालय डिग्री या समकक्ष।
4. **अनुलग्नक-I** के अनुसार प्रारूप में अजा/ अजजा प्रमाणपत्र।
5. **अनुलग्नक-II** के अनुसार प्रारूप में अपिव-गैर क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र। (दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से एक वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) ।
6. **अनुलग्नक-IIA** के अनुसार प्रारूप में अपिव उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर घोषणा।
7. **अनुलग्नक-III** के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र।

8. अनुलग्नक-III A के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
9. अनुलग्नक-IV के अनुसार गैरन्यायिक स्टैंप पेपर पर अल्प समुदाय घोषणा।
10. भूतपूर्व सैनिकों के लिए मूल विमुक्ति प्रमाणपत्र।
11. यथा लागू अनुलग्नक-V(A) / अनुलग्नक V(B) / अनुलग्नक V(C) के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
12. अनुलग्नक-VII के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा।
13. सेवारत कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
14. सेवारत रक्षाकर्मियों के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
15. पैरा 1.7 में वर्णित अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्रित अधिसूचना और/ या अन्य कानूनी दस्तावेज़।
16. एसबीआई शाखा में चलान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की रसीद या कंप्यूटरीकृत डाक घर की पे-इन-स्लीप।
17. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्वप्रमाणन।
18. जम्मू व कश्मीर आवासीय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
19. पैरा 4.1(एफ) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र।
20. यथा लागू सक्षम न्यायलय से तलाक/ कानूनी वियोजन की डिक्री और इस आशय का शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
21. विधवा उम्मीदवार के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र और इस आशय का शपथ पत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
22. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द-से-जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीईएन के तहत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व घोषणा देनी चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय इस घोषणाकी पावती कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

टिप्पणी :-

- i. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/ या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज़ मूल प्रति में दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य ही जमा करेंगे। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो अजा/ अजजा/ अपिव-गैर क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/ भूतपूर्व सैनिक/ दिव्यांग होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन को अनारक्षित (अना) समुदाय के लिए विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए। अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii. शैक्षणिक योग्यता जैसे अनंतिम/ सामान्य प्रमाणपत्र में जारी तिथि होनी चाहिए। यह जारी तिथि सीईएन की अंतिम तिथि के बाद का होने के मामले में समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित प्रत्येक सेमेस्ट की अंक सूचियाँ जमा करनी चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि इंगित हो) प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

18.0 छद्मरूपण / तथ्यों को छिपाना -चेतावनी :

- 18.1 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजने, छद्म रूप धारण करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे रेलवे

भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

- 18.2 रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 18.3 यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार की पात्रता और/ या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकार सहित विशेषाधिकार पाने के लिए जाली/ नकली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ जमा करते हुए पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी उस विशेष भर्ती के लिए रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए वह आवेदन किया है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल द्वारा संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/ या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आवश्यक हुआ, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 18.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनैतिक या कोई अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

19.0 विविध :

- 19.1 रेलवे भर्ती बोर्ड को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अतिरिक्तकंप्यूटर आधारित परीक्षा/ दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार है। रेलवे भर्ती बोर्ड को बिना कोई कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।
- 19.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन इत्यादि से संबंधित तमाम मामलों के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- 19.3 रेलवे भर्ती बोर्ड असावधानीवश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।
- 19.4 इस सीईएन के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र, संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार द्वारा चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित होगा।
- 19.5 सीईएन अधिसूचना की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइट में प्रकाशित सीईएन अधिसूचना के अंग्रेज़ी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

20.0 विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड का विवरण, उनके वेबसाइटों का पता निम्नलिखित है :-

रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर	रेलवे भर्ती बोर्ड का नाम	वेबसाइट का पता और टेलीफोन नंबर
(1)	(2)	(1)	(2)
अहमदाबाद	www.rrbahmedabad.gov.in फ़ोन: 079 - 22940858	गुवहाटी	www.rrbguwahati.gov.in फ़ोन: 0361 - 2540815

अजमेर	www.rrbajmer.gov.in फ़ोन: 0145 – 2425230	जम्मू – श्रीनगर	www.rrbjammu.nic.in फ़ोन: 0191 – 2476757
इलाहाबाद	www.rrbald.gov.in फ़ोन: 0532 – 2224531	कोलकाता	www.rrbkolkata.gov.in फ़ोन: 033 – 25430108
बेंगलूरु	www.rrbbnc.gov.in फ़ोन: 080 – 23330378	माल्दा	www.rrbmalda.gov.in फ़ोन: 03512 – 264567
	फ़ोन: 080 – 23334147	मुंबई	www.rrbmumbai.gov.in फ़ोन :022-23090422
भोपाल	www.rrbbpl.nic.in फ़ोन: 0755 – 2746660	मुज़फ़्फ़रपुर	www.rrbmuzaffarpur.gov.in फ़ोन: 0621 – 2213405
भुवनेश्वर	www.rrbbbs.gov.in फ़ोन: 0674 – 2303015	पटना	www.rrbpatna.gov.in फ़ोन: 0612 – 2677680
बिलासपुर	www.rrbbilaspur.gov.in फ़ोन: 07752 - 247291	रांची	www.rrbranchi.gov.in फ़ोन: 0651 - 2462429
चंडीगढ़	www.rrbcdg.gov.in फ़ोन: 0172 – 2730093	सिकंदराबाद	www.rrbsecunderabad.nic.in फ़ोन: 040 – 27821663
चेन्नई	www.rrbchennai.gov.in फ़ोन: 044 – 28275323	सिलिगुड़ी	www.rrbsiliguri.org फ़ोन: 0353 – 2663840
गोरखपुर	www.rrbgkp.gov.in फ़ोन: 0551 – 2201209	तिरुवनंतपुरम	www.rrbthiruvananthapuram.gov.in फ़ोन: 0471-2323357

21.0 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुई संक्षिप्तियाँ:

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी: कंप्यूटर आधारित परीक्षा, एसएसटी : आशुलिपि कौशल परीक्षा, पीटी : काबिलियत की परीक्षा, टीएसटी : शिक्षण कौशल परीक्षा, टीटी: अनुवाद परीक्षा, डीवी: दस्तावेज़ सत्यापन
आरक्षण/आयु में छूट वर्ग	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूपू-सै. = भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रीमी लेयर, अपिव- एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर, अ.जा. = अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अना = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग	आर-वीआई=नियमित दृष्टि बाधिता, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, आर-एलडी =

	<p>नियमित लोकोमोटर अशक्तता, आर-ओडी = नियमित अन्य अशक्तता, आर-एमडी = नियमित बहु अशक्तता, बी-वीआई=बैकलॉग दृष्टि बाधिता, बा-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, एएवी=एसिड हमले के शिकार, एएसडी=स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=श्रवण बाधिता, एचआई=श्रवण बाधिता, आईडी= बैद्विक दिव्यांगता, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एलडी=लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी=कमजोर दृष्टि, एमडी= बहु अशक्तता, एमडब्ल्यू= मांसपेशीय कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्ग दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी= बीतचीत एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई=दृष्टि हीनता।</p>
रेलवेजोन/उत्पादन इकाई / संगठन	<p>सीएलडब्ल्यू=चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस् , चित्तरंजन; म.रे.=मध्य रेलवे, डीएलडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस् वाराणसी; डीएमडब्ल्यू=डीज़ल लोको मोडरनैज़ेशन वर्कस्, पटियाला; पू.रे.=पूर्व रेलवे, पू.म.रे.=पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ=इंटग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई; उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वो.रे.= पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वो.सी.रे.=पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू=उत्पादन इकाई, आरसीएफ=रेल कोच फैक्टरी, कर्पुर्ला; आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे.=रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड=रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेलवे भर्ती सेल, आरडब्ल्यूएफ=रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूरु; आरडब्ल्यूपी=रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.=दक्षिण रेलवे, द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।</p>
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	<p>एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, एएलडी=इलाहाबाद, बीबी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=विलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, कीओएल=कोलकाता, एमएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी=मुज़फ्फरपुर, पीएनबीई=पटना, आरएनसी=रांची, एसबीसी=बेंगलूरु, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तुरुवनंतपुरम।</p>
सामान्य	<p>सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना, डीवाईएन बीजी एमजी= डायनेमिक ब्रॉड गेज तथा मीटर गेज, ईडी=इंजन विकास, ईएमयू=विद्युत मल्टिपल यूनिट, जीपी =ग्रेड वेतन, आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जाइंट फ़ोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी.=किलो बाइट, एलटीआई=लेफ्ट थंब इंप्रेशन, एमपी=मोटिव पावर, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, एसएंडटी=सिगनल व दूरसंचार, टीआई=ट्रैक्शन इंस्टालेशन, टीआरडी=ट्रैक्शन डिस्ट्रिबूशन, टीआरएस=ट्रैक्शन सप्लई, यूपीआई=यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।</p>

चेतावनी:-

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे ने इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परामर्श लेने और अनैतिक तत्वों/दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री*/ श्रीमती/ कुमारी*सुपुत्र/सुपुत्री*
गाँव/शहर...../जिला/मंडल*राज्य/संघराज्यक्षेत्र*

.जाति*/जनजातिसे संबंधित हैं, जिसे अनुसूचितजाति/ अनुसूचितजनजातिके तहत मान्यता प्राप्त है:-

- * संविधानअनुसूचितजाति आदेश 1950.
- * संविधानअनुसूचितजनजाति आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचितजाति) (संघराज्यक्षेत्र) (भाग गराज्य) आदेश 1951;
- * संविधान (अनुसूचितजनजाति) (संघराज्यक्षेत्र) (भाग गराज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचितजातितथअनुसूचितजनजातिसूची (संशोधितआदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाबपुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेशराज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथाअनुसूचितजातिवअनुसूचितजनजातिआदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचितजातिआदेश, 1956
- * संविधान (अदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचितजनजातिआदेश, 1959 जोअनुसूचितजातिव अनुसूचितजनजातिआदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, * संविधान (दादर वनगर हवेली)* अनुसूचितजातिआदेश, 1962.
- * संविधान (दादर वनगर हवेली) अनुसूचितजनजाति, आदेश, 1962
- * संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचितजातिआदेश, 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचितजनजातिआदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमनव दीव) अनुसूचितजातिआदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमनव दीव) अनुसूचितजनजातिआदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचितजनजातिआदेश, 1970.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचितजातिआदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचितजनजातिआदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचितजनजातिआदेश, 1989.
- * संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेशअधिनियम, 1991
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेशअधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचितजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचितजाति) आदेश (द्वितीयसंशोधन) अधिनियम, 2002.
- * अनुसूचितजातिवअनुसूचितजनजातिआदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/संघराज्य क्षेत्रप्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता*.....के श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....
गाँव/शहर...../जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*को अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो.....जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक.....से मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* और/अथवा* उसका* परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....केजिला/ मंडल* गाँव/शहर* में सामान्यतःनिवास करता है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....
दिनांक..... पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.....

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपयाविशिष्ट राष्ट्रपति आदेशका हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद 'सामान्यतःनिवास' का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है।जाति/जनजातिप्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।(2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों। (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है। (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिलामजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक/ प्रशासकके सचिव (लक्कादीव, मिनिक्कॉयतथा अमीनदीवीद्वीप)।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रप्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है किश्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री
.....गाँव/शहर.....जिला/मंडल..... राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र..... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय व
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं.दिनांक * के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप
में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/अथवा उसका परिवार
.....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के.....
जिला/मंडल.....में सामान्यतःनिवासकरता/करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-
स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमीलेयर)
और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-
स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013तथा 13.09.2017** द्वारा आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक:

जिलामजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्तआदि
(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट: यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 03/2019 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप
 "मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री.....
श्री.....गाँव/शहर/.....जिला
 राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि
 मैं.....समुदाय(अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के
 कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार
 सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह
 भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन
 संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कॉलम
 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों(क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक:

उम्मीदवार का नाम

सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्र. _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है किश्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मुहल्ला _____ डाकघर _____

_____ जिला _____ राज्य/संघशासित प्रदेश _____ पिन कोड _____

के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष.....में उनकी/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए केवल) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालयकी मुहर के साथ हस्ताक्षर-----

नाम _____

पदनाम _____

आवेदक का

नवीनतम पासपोर्ट आकार का

अनुप्रमाणित फोटो

* नोट 1: आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 03/2019 के पदों के लिए
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय
परीक्षा शुल्क छूटकी घोषणा का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम:
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता:
5. वार्षिक पारिवारिक आय(शब्दों व अंकों में):

दिनांक:

हस्ताक्षर:

नाम:

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर:

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

1. जिलामजिस्ट्रेटयातहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी ग़रीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्जत एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है(5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन)03/2019 के पदों के लिए
अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला
परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्रीश्री _____ निवासी
गाँव/शहर/नगर _____ जिला _____ राज्य
_____ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार द्वारा
अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) से संबद्ध रखता
हूँ/रखती हूँ।

तारीख:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/जोरोस्ट्रियन(पारसी) के अंतर्गत आता है।

फार्म-V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का
हाल ही में खिंचा हुआ
पासपोर्ट आकार का
प्रमाणित फोटो
(जिसमें केवल चेहरा
दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म

तिथि

(तारीख/महीना/वर्ष).....पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान

संख्या.....वार्ड/

गाँव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक

परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

(क) यह मामला :

• लोकोमोटर अपंगता

• बौनापन

• नेत्रहीनता से ग्रस्त है

(जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाए)

(ख) उसकी अपंगता का निदान.....

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) उसके

.....(शरीर का अंग) में.....की स्थायी शारीरिक

अपंगता/नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) है।

(2) आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में
अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VI
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(नियम 18(1) देखें)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/महीना/वर्ष).....पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/गाँव/गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि:(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शाई गयी अपंगता का दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है:

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकार			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड हमले के शिकार			
7.	कमजोर दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधिता	£		
11.	वातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
17.	मल्टिपल सिरोसिस			
18.	पार्किंसन रोग			
19.	अधिरक्तस्राव			
20.	थेलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है:-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ़ रही है/नहीं बढ़ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र..... (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर, # अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें, £ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का व्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर:

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो(केवल चेहरा), जो साक्षात्कृत किया गया हो

फार्म-VII
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(फार्म-V व VI में उल्लिखित के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18(1) देखें)

प्रमाणपत्र सं.

दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि

मैनेश्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..... जन्मतिथि(तारीख/माह/वर्ष)..... आयु

वर्ष..... पुरुष/महिला पंजीकरण सं. स्थायी निवासी मकान नं. वार्ड/गाँव/गली पोस्ट

ऑफिस..... जिला राज्य जिनका फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्चर्य नहीं कि उनका

मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता/अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार (...संख्या और दिशा-निर्देशों के

जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तालिका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है :-

क्र.सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड हमले के शिकार			
6.	कमजोर दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		
8.	श्रवण बाधिता	£		
9.	घातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
12.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
15.	मल्टिपल सिरोसिस			
16.	पार्किंसन रोग			
17.	अधिरक्तनाव			
18.	थेलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है:-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ रही है/नहीं बढ रही है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों हाथ/पैर

अर्थात् एक आँख/दोनों आँखें

£ अर्थात् बायाँ/दायाँ/दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)
(नाम व मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर व मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी- प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था

स्क्राइबकी सहायता लेने हेतु घोषणा

टिप्पणी : दृष्टि बाधिता वाले(वीआई) उम्मीदवार/ सेरेब्रल पाल्सी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो/मांशपेशीय दुर्विकास/ लोको मोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले (स्वलीनता, स्पेसिफिक लर्निंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जानेवाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी केंद्र का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.....
5. दिव्यांगता का प्रकार.....
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्म तिथि.....
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता :
 - (a) स्थायी पता
 -
 - (b) वर्तमान पता
 -
10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता
-
11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो
12. घोषणा :
 - i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त ब्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।
 - ii) हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब खुद इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अगर यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है तो हम दोनों की उम्मीदवारीरद्द कर दी जाएगी।
 - iii) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में लिखने का काम नहीं करेगा।

स्क्राइब का हाल ही में खिंचाया पासपोर्ट आकारका 3.5 मिमी x 4.5 मिमी का रंगीन फोटो (जो तीन महीने से ज्यादा पुराना न हो)

उक्त बक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में उम्मीदवार के बाएँ अंगूठे की छाप

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में स्क्राइब के बाएँ अंगूठे की छाप

वीक्षक के हस्ताक्षर

पूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत नागरिक रोज़गार के संबंध में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा

मैं भलीभाँति जानता हूँ कि मैं इस केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) द्वारा की जानेवाली भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोज़गार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोज़गार मिला है।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

क) मैंने सीईएन 03/2019 के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोज़गार प्राप्त नहीं किया है।

ख) मैंने असैनिक रोज़गार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन 03/2019 में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा/वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा/वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणपत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें।)

स्थान :

हस्ताक्षर:

तारीख :

नाम :

रोल नंबर :

जूनियर स्टेनोग्राफर / हिंदी

नोट: अन्य प्रश्नों की अन्य भाषाओं के बावजूद क्रम संख्या 1 से 6 केवल हिंदी में मुद्रित किया जाएगा क्योंकि स्टेनोग्राफर (हिंदी) हिंदी पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	विलोम शब्द	6 से 8
2.	समानार्थक शब्द	6 से 8
3.	रिक्त स्थान भरें	6 से 8
4.	वाक्यांश के लिए एक शब्द दें	6 से 8
5.	मुहावरे और लोकोक्तियाँ	7 से 9
6.	शब्द / वाक्य शुद्धि	7 से 9
7.	कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें:	5 से 7
	इनपुट और आउटपुट डिवाइस; एमएस ऑफिस; और कंप्यूटरों के बुनियादी अनुप्रयोग	
	कुल	50

जूनियर स्टेनोग्राफर / अंग्रेजी

नोट: अन्य प्रश्नों की अन्य भाषाओं के बावजूद क्रम संख्या 1 से 6 केवल अंग्रेजी में मुद्रित किया जाएगा क्योंकि स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) हिंदी पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	विलो मशब्द	6 से 8
2.	समानार्थक शब्द	6 से 8
3.	रिक्त स्थान भरें	6 से 8
4.	वाक्यांश के लिए एक शब्द दें	6 से 8
5.	मुहावरे और वाक्यांश	7 से 9
6.	शब्द / वाक्य शुद्धि	7 से 9
7.	कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें:	5 से 7
	इनपुट और आउटपुट डिवाइस; एमएस ऑफिस; और कंप्यूटरों के बुनियादी अनुप्रयोग	
	कुल	50

जूनियर स्टेनोग्राफर / हिंदी

1. इस पेपर के सामान्य भाग में 50 प्रश्न होंगे। बोर्ड द्वारा सलाह दी जाने वाली भाषाओं में इन सवालों का अनुवाद किया जाएगा।
2. भाषा भाग में, 30 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे और 20 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से होंगे। इन 50 प्रश्नों का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जाएगा। जैसेकि, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल हिंदी में मुद्रित किए जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में मुद्रित किए जाएंगे।

नोट: कठिनाईस्तर 10 + 2 होगा।

प्रत्येक के तीन सवाल	
क्र. सं.	विषय
1.	समानार्थक शब्द
2.	पर्यायवाची शब्द
3.	विलोम शब्द
4.	प्रत्यय
5.	उपसर्ग
6.	संधिविच्छेद
7.	मुहावरे और लोकोक्तियाँ
8.	तत्सम-तदभव
9.	वाक्यांश के लिए एक शब्द
10.	शब्द / वाक्य शुद्धि

कर्मचारी और हित निरीक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	औद्योगिक संबंध: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार [स्थायीआदेश] अधिनियम।	9 से 11
2.	सामाजिक सुरक्षा कानून: कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961।	9 से 11
3.	मजदूरी से संबंधित कानून: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम।	9 से 11
4.	काम की स्थितियां प्रभावित करने वाले विधान: भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952।	7 से 10
5.	कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें: इनपुट और आउटपुट डिवाइस; एमएस ऑफिस;	3 से 5
6.	सूचना का अधिकार अधिनियम – इसके प्रावधान।	2 से 4
7.	नई पेंशन योजना।	1 से 3
	कुल	50

मुख्य विधि सहायक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	भारतीय संविधान: प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्रीय विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका।	3 से 5 प्रश्न
2.	प्रशासनिक कानून: प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा; प्रशासन की विधायी शक्ति; प्रशासन की न्यायिक शक्ति; प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक नियंत्रण; निगम और सार्वजनिक उपक्रम।	2 से 3 प्रश्न
3.	न्यायशास्त्र: प्रकृति और संकल्पना, न्यायशास्त्र के स्कूल, कानून के स्रोत, कानूनी अवधारणा, कानूनी व्यक्ति	3 से 4 प्रश्न
4.	अपकार का कानून : सामान्य अवधारणाएं।	2 से 3 प्रश्न
5.	हिंदू कानून: स्रोत, विवाह, तलाक, रखरखाव, गोद लेने, उपहार, उत्तराधिकार	3 से 4 प्रश्न
6.	नागरिक प्रक्रिया संहिता: सामान्य; सूट, निष्पादन; अपील; संदर्भ, समीक्षा और संशोधन; लिखित बयान, सेट-ऑफ और जवाबी-दावा; परीक्षा, खोज, प्रवेश और दस्तावेज़ कानून।	5 से 7 प्रश्न
7.	आपराधिक प्रक्रिया संहिता: विभिन्नखंड।	2 से 3 प्रश्न
8.	भारतीय दंड संहिता: सामान्य; दंड; अभियोग, आपराधिक षड्यंत्र; राज्य के खिलाफ अपराध, लोकसेवकों के कानूनी अधिकार की अवहेलना, गलत साक्ष्य; मानव शरीर और संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध।	2 से 3 प्रश्न
9.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम: तथ्यों की प्रासंगिकता; जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है; मौखिक साक्ष्य; दस्तावेज़ी प्रमाण; सबूत के बोझ; विबंधन; गवाहों की परीक्षा और अनुचित प्रवेश और साक्ष्य की अस्वीकृति।	2 से 3 प्रश्न
10.	भारतीय अनुबंध अधिनियम: समझौता, अनुबंध और प्रस्ताव; स्वीकृति; विचार; अनुबंध की क्षमता; सहमति व्यक्त करने वाले कारक; वस्तु की वैधता; संविदा का प्रदर्शन; अनुबंध का उल्लंघन; क्षति पूर्ति और गारंटी; जमानत पर छोड़ना।	2 से 3 प्रश्न

11.	सीमा अधिनियम, 1963: प्रारंभिक और मुकदमा की सीमा, अपील और आवेदन; सीमा की अवधि; कब्जे और विविध द्वारा स्वामित्व का अधिग्रहण।	2 से 3 प्रश्न
12.	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: विशिष्ट राहत और निवारक राहत।	1 से 2 प्रश्न
13.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932; पार्टनरशिप की प्रकृति और एक-दूसरे से पार्टनर के संबंध; तीसरे व्यक्ति के लिए पार्टियों के संबंध; आवक और जावक भागीदार; एक फर्म का विघटन; फर्मों का पंजीकरण।	1 से 2 प्रश्न
14.	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: मध्यस्थता; समझौता	2 से 3 प्रश्न
15.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: सामान्य प्रावधान।	1 से 2 प्रश्न
16.	मानव अधिकारों का संरक्षण: सामान्य प्रावधान।	1 से 2 प्रश्न
17.	संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण: सामान्य, पार्टियों के अधिनियम द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण; अचल संपत्ति की बिक्री; अचल संपत्ति का बंधक और शुल्क; अचल संपत्ति की लीज; आदान-प्रदान; उपहार।	2 से 3 प्रश्न
18.	सूचना का अधिकार अधिनियम: सार्वजनिक प्राधिकरणों की बाध्यता; केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग; अपील और दंड।	1 से 2 प्रश्न
19.	कंपनी कानून: कंपनी का गठन, पंजीकरण और निगमन; पूंजी निर्माण; कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनियों के समापन।	2 से 3 प्रश्न
20.	श्रम कानून: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कारखाना अधिनियम; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936।	3 से 5 प्रश्न
	कुल	50

फिंगर प्रिंट परीक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	फोरेंसिक विज्ञान नियम, कानून, प्रक्रिया, गुंजाइश, महत्व आदि, भौतिक साक्ष्य को संसाधित करना, दस्तावेजों और लिखावट पर सवाल, उंगलियों के निशान, उपकरण के निशान आदि, फोरेंसिक मनोविज्ञान।	4 से 6
2.	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की मूल बातें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। एमएस विंडोज, एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, एमएस-पावरपॉइंट	4 से 6
3.	Fingerprint Expert उंगलियों के निशान का परिचय, उंगलियों के निशान का इतिहास और विकास, उंगलियों के निशान का वर्गीकरण, फिंगरप्रिंट वर्गीकरण की हेनरी प्रणाली, विभिन्न फिंगरप्रिंट पैटर्न। फिंगरप्रिंट पैटर्न से व्यक्तियों की पहचान करना। विभिन्न वस्तुओं से उंगलियों के निशान उठाना। उंगलियों के निशान और वर्ग और व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रकार। अप्रत्यक्ष फिंगरप्रिंट विकास के विभिन्न तरीके। उंगलियों के निशान की फोटोग्राफी। फिंगरप्रिंट चार्ट तैयार करना। उंगलियों के निशान की तुलना / सत्यापन। स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। अदालत में फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ। विशेषज्ञ राय लेखन आदि।	40 से 44
	कुल	50

कुक/ हेडकुक

नोट: कठिनाई स्तर "मैट्रिक" होगा

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	विज्ञान: (11 से 13 प्रश्न)।	
	रसायन विज्ञान: परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, एसिड, गैस और साल्ट, धातु और गैर-धातु, कार्बन और इसके यौगिक।	4 से 6
	भौतिकी: गति, बल और गति के नियम, गुरुत्व, कार्य और ऊर्जा, लचीलापन, ध्वनि, प्रकाश - परावर्तन और अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत-नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय।	4 से 6
	पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और इसके चक्र और प्रदूषण - वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी / भूमि और इसका प्रबंधन।	1 से 3
2.	गणित: बीजगणित - दो चर में रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, रेखागणित और पैमाइश - रेखाएँ और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, चक्र - क्षेत्र, भूतल क्षेत्र और खंड। समन्वय रेखागणित - लाइन्स। त्रिकोणमिति: ऊँचाई और दूरियाँ।	7 से 9
3.	खाद्य पदार्थों और पोषण की अवधारणाएँ, विभिन्न खाद्य समूह; खाद्य पदार्थ देने वाली ऊर्जा; बाँडी बिल्डिंग भोजन; सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ; खाद्य उत्पादों पर प्रसंस्करण का प्रभाव; भोजन का नुकसान और खाद्य संरक्षण; खाद्य पदार्थ मिलावट, खाद्य सुरक्षा, खाद्य योजक; कार्बोहाइड्रेट; लिपिड और वसायुक्त अम्ल; प्रोटीन; विटामिन; खनिज; पानी; एंजाइमों; न्यूक्लिक अम्ल।	9 से 11
4.	पाक कला :	
	खाना पकाने के उद्देश्य और उद्देश्य, रसोई का खाका और संगठन, पदानुक्रम और कर्मचारी, उपकरण, रसोई के काम में प्रयुक्त ईंधन और उपकरण, सामग्री: शॉर्टनिंग्स, राइजिंग एजेंट्स, चीनी, दूध उत्पाद, चावल और अनाज, सब्जियाँ और फल।	
	खाना पकाने की तैयारी और तरीके - खाना पकाने के लिए सामग्री, खाना पकाने के तरीके और सिद्धांत- भूनने, ग्रिलिंग, तलना, बेकिंग, भूनना, उबालना, भाप देना, स्टीवन और ब्रेजिंग।	20 से 24
	पाक कला की मूल बातें - भण्डार, जूस, चटनी।	
	भारतीय भोजन - भारतीय खाद्य पदार्थों का परिचय, भारतीय खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त मसाले, मसाले, भारतीय कढ़ी और तरी, भारतीय चावल की तैयारी, भारतीय सलाद और जूस, भारतीय स्नैक्स और चाट, भारतीय मिठाई की तैयारी, भारतीय त्योहार के व्यंजन, भारतीय ब्रेड, तंदूर तैयार करना, प्रकार, मैरिनेड तैयारी, तंदूरी व्यंजनों के प्रकार, तंदूरी रोटी, तंदूरी संगत।	
महाद्वीपीय भोजन - महाद्वीपीय भोजन; चीनी व्यंजन; अमेरिकी और संलयन भोजन; अन्य अंतर्राष्ट्रीय भोजन।		
5.	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग।	1 से 3
	कुल	50

वरिष्ठप्रचारनिरीक्षक / प्रचारनिरीक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	संचार-व्यवस्था संचार का परिचय; संचार का इतिहास; उपकरण; संचार के मूल तत्व; संचार के प्रकार; संचार की अनिवार्यता; संचार के सिद्धांत; प्रभावी सिद्धांत; संचार की प्रक्रिया; संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक; संचार के रूप; मौखिक संचार।	12 से 15
2.	जन संचार जन संचार का युग, जनसंचार का परिचय और इतिहास; जनसंचार की संस्कृति और कार्य; जन संचार के उपकरण; पत्रकारिता; प्रेस कोड और नैतिकता; जन संचार के तत्व; जन संचार-माध्यम श्रोतागण के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र; जन संचार के आदर्श; जन संचार के सिद्धांत; संचार में मुद्दे; जनसंपर्क माध्यम और जनमत।	12से 15
3.	विज्ञापन अवधारणा, विज्ञापन के कार्य, किसी उत्पाद के विज्ञापन अवसर का निर्धारण करने वाले कारक / सेवा / विचार, विज्ञापन प्रदर्शन के प्रकार और वर्गीकरण, वर्गीकृत / व्यापार / उत्पाद / वित्तीय / कॉर्पोरेट आदि, ब्रांड प्रबंधन और स्थिति, रचनात्मक और अभियान की अवधारणा; विज्ञापन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, विज्ञापन: नैतिकता, कोड और कानून,मार्का न्यायपरस्ता और विज्ञापन। विज्ञापन संस्था - संस्था के प्रकार, संरचना, कार्य, भूमिकाएँ, और गुंजाइश। संस्था ग्राहक संबंध, शीर्ष संगठन: डीएवीपी, आईएनएस, आईएसए, एएएआई।	10से13
4.	जनसंपर्क जनसंपर्क; सार्वजनिक संबंधों का विकास; भारत में पीआर; जनता की राय; पीआर प्रक्रिया; आंतरिक संचार के लिए पीआर; बाहरी जनता के लिए पीआर; संचार का मास मीडिया; नैतिकता और पीआर; मीडिया से निपटने / मीडिया की कार्यप्रणाली; पीआर में लेखन की भूमिका; पीआर में उभरती चुनौतियां। पीआर प्रबंधन - कार्यक्रम प्रबंधन, संकट प्रबंधन, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन। पीआर कानून - आचार संहिता, पीआर और प्रेस परिषद, मानहानि, आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923, कॉपीराइट अधिनियम 1957, पुस्तक अधिनियम का प्रेस पंजीकरण 1867। अदालत की अवमानना कम्प्यूटर और इसके अनुप्रयोग (2 से 3 प्रश्न)	10 से 13
5.	सामाजिक मीडिया, जैसे ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर विषय और कवरेज।	3से 5
	कुल	50

फोटोग्राफर
नोट: कठिनाई स्तर "मैट्रिक" होगा

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	विज्ञान : (11 से 13 प्रश्न)	
	रसायन विज्ञान: परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण, एसिड, गैस और साल्ट, धातु और गैर-धातु, कार्बन और इसके यौगिक।	4 से 6
	भौतिक विज्ञान: गति, बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, सरल हार्मोनिक मोशन, लोच, परमाणु भौतिकी, ध्वनि, प्रकाश - परावर्तन और अपवर्तन, मानव आंख, बिजली, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत- नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय।	4 से 6
	पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और इसके चक्र और जैव विविधता और प्रदूषण - वायु, जल, ध्वनि, मिट्टी / भूमि और इसका प्रबंधन।	1 से 3
2.	गणित:	
	बीजगणित - बहुपद, दो चर में रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति। ज्योमेट्री - रेखाएँ और कोण, त्रिकोण, चतुर्भुज, क्षेत्र, वृत्त, निर्माण। समन्वय ज्योमेट्री - रेखाएं। पैमाइश - क्षेत्र, भूतल क्षेत्र और मात्रा। सांख्यिकी और संभावना त्रिकोणमिति: ऊँचाई और दूरियाँ।	7 से 9
3.	ज्ञान और स्टिल उपकरण को संभालने की क्षमता, साथ ही स्टिल डिजिटल और डिजिटल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के प्रकार, जोखिम, फ़िल्में। सॉफ्टवेयर का ज्ञान जैसे कि संपादन के लिए फोटोशॉप, कच्चे फुटेज से संपादित वीडियो का निर्माण आदि।	28 से 32
	कुल	50

सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) / प्रशिक्षित ग्रेड टीचर्स (टीजीटी)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	शिक्षा	22 से28
	शिक्षा का दर्शन - दर्शनशास्त्र के विभिन्न स्कूल; भारतीय विचारकों और पश्चिमी विचारकों के अनुसार शिक्षा।	
	भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र और शिक्षा - शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, भारतीय समाज की आकांक्षा, घर की भूमिका और कार्य, स्कूल समुदाय, धर्म, मीडिया और राज्य समाजीकरण के प्रतिनिधि के रूप में, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समायोजन और सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा।	
	शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य - अर्थ और मूल्यों का वर्गीकरण। नैतिकता और नैतिक मूल्यों की प्रकृति; मूल्य उन्मुख शिक्षा। मूल्य संकट और मूल्य संकट के समाधान में शिक्षा की भूमिका। संस्कृति के अर्थ और विशेषताएं और शिक्षा के साथ इसका संबंध। भारतीय सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा। सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक अंतराल, सांस्कृतिक संघर्ष, महत्वाकांक्षा और सहिष्णुता।	
	लोकतंत्र और शिक्षा - समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, अधिकार और अनुशासन की अवधारणा। बाल अधिकारों के संदर्भ में मानव अधिकार शिक्षा।	
	शिक्षा और एकीकरण - शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका	
2.	शिक्षार्थी और शिक्षण का मनोविज्ञान	13 से18
	शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, कार्यक्षेत्र और महत्त्व। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध; विकास और विकास की प्रक्रिया; बुद्धि: इसके सिद्धांत और माप। सीखना और प्रेरणा; मनोविज्ञान और असाधारण बच्चों की शिक्षा-रचनात्मक, उपहार, पिछड़े, सीखने की अक्षमता और मानसिक रूप से मंद। मूल्यांकन	
3.	पाठ्यक्रम और निर्देश - (8 से 12 प्रश्न):	8 से12
	पाठ्यक्रम विकास, लेन-देन,	
	निर्देशात्मक तरीके - शिक्षक-नियंत्रित निर्देश (टीसीआई); शिक्षार्थी-नियंत्रित निर्देश (एलसीआई); समूह-नियंत्रित निर्देश (जीसीआई);	
	कौशल एवं क्षमताएं; निर्देश वितरण के साधन।	
	कुल	50

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	भारत में शारीरिक शिक्षा उद्देश्य, सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा के घटक; भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति; स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, स्थानीय निकाय); प्रोत्साहन, उपलब्धि की अवधारणा; अन्य शारीरिक शिक्षा और खेल आयोजन (संगोष्ठी, अस्पताल, व्याख्यान) का संगठन; शारीरिक शिक्षा में श्रवण दृश्य सहायक का उपयोग।	10 से12
2.	शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यायाम, पोषण आहार और स्वच्छता शारीरिक गतिविधि-अवधारणा, स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के लाभ; अवधारणा, आवश्यकता, घटक और पूर्ण स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, तैयार होना, अनुकूलन और शांत होना, विकसित करने के तरीके; और शारीरिक स्वास्थ्य के स्वास्थ्य और कौशल संबंधित घटकों को मापना। कल्याण-अवधारणा घटक, सकारात्मक जीवन शैली के संदर्भ में महत्व। पोषण, संतुलित आहार, आहार सहायक की अवधारणा। ऊर्जा और गतिविधि - कैलोरी सेवन और व्यय, ऊर्जा संतुलन समीकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता की भूमिका, मानसिक स्वच्छता, नींद की स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा और खेल में व्यावसायिक स्वच्छता।	15 से17
3.	खेल चोट, रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा, खेल चिकित्सा शारीरिक शिक्षा में शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान की बुनियादी अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। कोशिका, ऊतक, अंग और प्रणाली की परिभाषा और विवरणकंकाल प्रणाली, मांसपेशियों की प्रणाली, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली का संक्षिप्त परिचय। शारीरिक फिटनेस घटकों के विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारकाथकान, सिलाई, ऐंठन, ऑक्सीजन ऋण, दूसरी हवा की अवधारणा। प्रशिक्षण प्रभावों के लिए मार्कर - अधिकतम हृदय गति, महत्वपूर्ण क्षमता, साँप की मात्रा, तापमान विनियमन। आसनीय विकृति - प्रकार और कारण (सम्मोहन, स्कोलियोसिस, अग्रकुब्जता, घुटनों के बल, धनुष घुटने, समतल पैर) सुधारात्मक अभ्यास। खेल चिकित्सा और एथलेटिक देखभाल - संकल्पना और महत्व, चोटों के कारण कारक। चोटों की रोकथाम के सामान्य सिद्धांत - सामान्य खेल की चोटें (तनाव और मांसपेशियों और स्नायुबंधन की मोच, जमे हुए कंधे, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव, टेनिस और गोल्फर की कोहनी, धावक के घुटने, पिंडली का दर्द, छाला, आघात, पंगु, घर्षण, रक्तगुल्म, हड्डी टूटना, अव्यवस्था) चोट का प्रबंधन (तनाव और मांसपेशियों और स्नायुबंधन की मोच, जमे हुए कंधे, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव, टेनिस और गोल्फर की कोहनी, धावक के घुटने, पिंडली का दर्द, छाला, कंठमाला, घाव, घर्षण, हड्डी टूटना, अव्यवस्था)। खेल की चोट और प्राथमिक चिकित्सा। पुनर्वास - लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक होना (स्नान करना, विपरीत स्नान, गर्म सेंक) चिकित्सीय तौर-तरीके (चिकित्सीय अल्ट्रासाउंड, आनुमानिक चिकित्सा इकाई, टेंस इंफ्रारेड लैम्प, मोम स्नान, शॉर्ट वेव डायथर्मि)। खेल मनोविज्ञान की परिभाषा, कार्यक्षेत्र और महत्वसीखना - सीखने की अवधारणा और सिद्धांत, सीखने की अवस्था। खेल में भावना, चिंता और तनाव प्रबंधन।	16 से20
4.	मनोरंजन के लिए शिविर लगाना	2 से3
5.	महत्वपूर्ण क्रीडा और खेल	4 से6
	कुल	50

सहायक अध्यापिका (जूनियर स्कूल)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	शैक्षणिक मनोविज्ञान	25 से29
	बुद्धिमत्ता: प्रकृति, अर्थ और माप; सीखना; विकास एवं बाल का विकास; व्यक्तित्व विकास और समायोजन; बच्चों में व्यक्तिगत अंतर	
2.	शिक्षा प्रौद्योगिकी और शिक्षण-सिखने की प्रक्रिया; संवाद कौशल	18 से22
	शिक्षण-सिखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, बहु-मीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन; उपचारात्मक शिक्षण।	
3.	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग	2 से4
	कुल	50

संगीत अध्यापिका

क्र. सं.	विषय	प्रश्नोंकीसंख्या
1.	संगीत की प्रशंसा, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, भरतनाट्यशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास और संगीत रत्नाकर, संगीत का वर्गीकरण।	8 से12
2.	भारतीय संगीत में राग और ताल की अवधारणा, रागों का वर्गीकरण, अवधारणा गायन, विभिन्न घराने और उनके इतिहास, अंकन प्रणाली का विकास, मद्धम संगीत के रूप।	8 से12
3.	भारतीय संगीत, कलाओं, संगीत समारोहों / सेमिनारों / सम्मेलनों का महत्व।	7 से11
4.	ध्वनिकी के नियम, संगीतमय ध्वनि तरंग गति, आवृत्ति पिच, आयतन	7 से11
5.	संगीत और साहित्य, ललित कलाओं में संगीत का स्थान, मल्टी मीडिया में संगीत की भूमिका, ताल अध्ययन, संगीत और वाद्य संगीत	7 से11
6.	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग	2 से4
	कुल	50

सीईएन-03/2019 : पद मानक

कोटि. सं.	पद का नाम	7 ^{वें} सीपीसी में स्तर	वेतन (₹.)	चिकित्सा मानक	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता (पीडब्ल्यूबीडी)					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
							व्हीआई	व्हीआई	व्हीआई	व्हीआई	व्हीआई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जूनियर आशुलिपिक / हिंदी	4	25500	सी 1	18	30	बी, एल.बी.	डी, एचएच	ओए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10 + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा। 65 मिनट के प्रतिलेखन समय के साथ 10 मिनट की अवधि के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति।
2	जूनियर आशुलिपिक / अंग्रेजी	4	25500	सी 1	18	30	बी, एल.बी.	डी, एचएच	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से 10 + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा। 50 मिनट की प्रतिलेखन समय के साथ 10 मिनट की अवधि के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति।
3	जूनियर अनुवादक / हिंदी	6	35400	सी 2	18	33	बी, एल.बी.	डी, एचएच	ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या हिंदी या अंग्रेजी में अंग्रेजी या हिंदी के साथ अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में समकक्ष या हिंदी या अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में समकक्ष, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में डिग्री स्तर पर। तथा (ii) हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत में अनुवाद कार्य का 2 साल का अनुभव।

4	कर्मचारी और हित निरीक्षक	6	35400	सी 1	18	33	नहीं	नहीं	डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	नहीं	स्नातक + निम्नलिखित योग्यता में से कोई एक: श्रम कल्याण में डिप्लोमा / समाज कल्याण या श्रम कानूनों के साथ एलएलबी या श्रम कानूनों में डिप्लोमा। या कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिए गए कार्मिक प्रबंधन या एमबीए / एचआर में पेपर के साथ एमबीए।
5	मुख्य विधि सहायक	7	44900	सी 1	18	40	बी, एल. बी.	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	बार में एक वकील के रूप में 3 साल के अभ्यास के साथ कानून में विश्वविद्यालय की डिग्री। रेलवे के कर्मचारी जो विधि स्नातक हैं, वे भी इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने रेलवे प्रशासन की किसी भी शाखा में कम से कम 5 वर्षों तक सेवा दी हो। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियां रेलवे मजिस्ट्रेटों के लिए भी उपलब्ध होंगी जो इस तरह के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं और जो सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं।
6	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड- III रसायन और धातुकर्म	2	19900	बी 1	18	30	नहीं	डी, एचएच	ओए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	10 + 2 या इसके समतुल्य विज्ञान (भौतिकी और रसायन विज्ञान) विषय या इसके समकक्ष। तथा मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।
7	फिंगरप्रिंट परीक्षक	6	35400	सी 1	20	35	नहीं	डी, एचएच	ओए, ओएल, ओएएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या इसके समकक्ष। तथा अखिल भारतीय बोर्ड द्वारा फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की परीक्षा के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जिसे भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया हो।
8	प्रधान कुक	5	29200	सी 1	18	30	एल बी	डी, एचएच	ओएल, डीडब्ल्यू	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक कला में शिल्प कौशल के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या इसके समकक्ष। नोट: उद्देश्य के लिए संस्थान की मान्यता भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

9	कुक्	2	19900	सी 1	18	30	एल वी	डी, एचएच	ओएल, डीडब्ल्यू	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक कला में शिल्प कौशल के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या इसके समकक्ष। नोट: उद्देश्य के लिए संस्थान की मान्यता भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित की जाएगी।
10	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	35400	सी 1	18	33	नहीं	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सार्वजनिक संबंध / विज्ञापन / पत्रकारिता / जनसंचार में डिप्लोमा। वांछनीय: संबंधित क्षेत्रों में 2 साल का अनुभव।
11	प्रचार निरीक्षक	5	29200	सी 1	18	33	नहीं	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सार्वजनिक संबंध / विज्ञापन / पत्रकारिता / जन संचार में डिप्लोमा।
12	फोटोग्राफर	4	25500	सी 1	18	33	नहीं	डी, एचएच	ओए, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	10 + 2 या इसके समकक्ष। भारत में किसी मान्यता प्राप्त / प्रतिष्ठित संस्थान से फोटोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी में डिप्लोमा और मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर एडेड फोटो / वीडियो संपादन में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। व्यावसायिक योग्यता: वांछनीय: (1) समाचार फोटोग्राफी और इवेंट फोटोग्राफी का समग्र ज्ञान और अनुभव। (2) समग्र ज्ञान और डिजिटल मीडिया का अनुभव। (3) स्वतंत्र रूप से काम संभालने की क्षमता। तकनीकी योग्यता: आवश्यक: (1) डिजिटल स्टिल एसएलआर कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा को संभालने के लिए ज्ञान और क्षमताएं। तथा (2) फोटो संपादन के लिए फोटोशॉप का उपयोग करने की क्षमता। वांछनीय: पेशेवर वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने और कच्चे फुटेज से संपादित वीडियो बनाने की क्षमता।

13	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) 2 - साल का एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी। जीव विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा कालेज का कोर्स। या वनस्पति विज्ञान / जीव विज्ञान / जीवन विज्ञान / जैव विज्ञान / आनुवंशिकी / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / आणविक जैव / प्लांट शरीर विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री, परन्तु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया हो। (ख) बी.एड. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
14	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी (पुरुष)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) अंग्रेजी में कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (ख) बी.एड. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी (महिला)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) अंग्रेजी में कुल में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम) (महिला)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) 2-वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. भूगोल में एनसीईआरटी की क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम। या भूगोल में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (ख) बी.एड. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।

17	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिकी (पुरुष)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) 2-वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी भौतिकी में एनसीईआरटी की शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज का कोर्स। या भौतिक विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स / अनुप्रयुक्त भौतिकी / परमाणु भौतिकी में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (ख) बी.एड. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
18	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिकी (महिला)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(क) राजनीति विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। (ख) बी.एड. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता। वांछनीय: कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / राजनीति विज्ञान (महिला)	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	निम्नलिखित में से किसी में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक: (क) बी.ई. या बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी) प्लस कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर (ख) बी.ई. या बी.टेक (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी) प्लस कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर या 'बी' या 'सी' लेवल डिप्लोमा ऑफ डीओईएसीसी, संचार मंत्रालय एंड आईटी प्लस एक वर्ष का अध्यापन अनुभव। या (ग) एम.एससी। (कंप्यूटर विज्ञान) / एमसीए प्लस एक वर्ष का अध्यापन अनुभव। या (घ) इंजीनियरिंग परास्नातक या एम.टेक (कंप्यूटर विज्ञान / आईटी)। नोट: बाद में पदोन्नति के लिए पदधारी को बी.एड. या समकक्ष प्राप्त करनी होगी।
20	स्नातकोत्तर शिक्षक / कंप्यूटर विज्ञान	8	47600	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	

21	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक / कंप्यूटर विज्ञान	7	44900	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	<p>निम्नलिखित में से किसी में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक:</p> <p>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग (B.C.A.) में बैचलर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक (बशर्ते कि कंप्यूटर विज्ञान विषय को मुख्य विषय के रूप में सभी वर्षों में अध्ययन किया गया हो)। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई / बीटेक (कंप्यूटर साइंस / सूचान प्रौद्योगिकी)। या डीओईएसीसी, सूचना और संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से किसी भी विषय में स्नातक और 'ए' स्तर का पाठ्यक्रम।</p> <p>नोट : अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती हैं, कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा</p>
22	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक / गृह विज्ञान (महिला)	7	44900	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	<p>(ए) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गृह विज्ञान में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। या (ब) बी.एससी। (गृह विज्ञान) प्रशिक्षण / शिक्षा में डिग्री / डिप्लोमा के साथ।</p>

23	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी (महिला)	7	44900	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	<p>(1) हिंदी के साथ स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा (जो भी नाम से जाना जाता है)। या कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक और 1 वर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)। या इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंडों और प्रक्रिया) नियमों के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ हिंदी और 1-वर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) के साथ स्नातक। या 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4-वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (B.El.Ed)। या 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 साल B.A./B.Sc या B.A.Ed / B.Sc.Ed। या कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक और 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)। तथा (2) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना। तथा (3) हिंदी माध्यम से पढ़ाने की क्षमता। नोट: योग्यता अंक में 5% तक की छूट आरक्षित वर्गों जैसे SC / ST / OBC / PwBD के उम्मीदवारों को दी जाएगी।</p>
----	--	---	-------	------	----	----	----------	------	--	------	-----	--

24	प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	44900	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	<p>(i) सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2-वर्षीय डिप्लोमा (जो भी नाम से जाना जाता है)।</p> <p>या</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक और 1 वर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।</p> <p>या</p> <p>इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमों के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ सामाजिक विज्ञान और 1-वर्षीय शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।</p> <p>या</p> <p>10 + 2 या यह कम से कम 50% अंकों के साथ और 4-वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (B.El.Ed.) के बराबर है।</p> <p>या</p> <p>10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4-वर्षीय B.A / B.Sc। या B.A.Ed / B.Sc.Ed।</p> <p>या</p> <p>कम से कम 50% अंकों और 1-वर्षीय बीएड (विशेष शिक्षा) के साथ सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक।</p> <p>तथा</p> <p>(ii) उपयुक्त सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण होना।</p> <p>तथा</p> <p>(iii) अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की क्षमता।</p> <p>नोट: योग्यता अंक में 5% तक की छूट आरक्षित वर्गों जैसे SC / ST / OBC / PwBD के उम्मीदवारों को दी जाएगी।</p>
----	---	---	-------	------	----	----	-------	------	--------------------------------------	------	-----	---

25	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	7	44900	सी 2	18	45	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन शारीरिक प्रशिक्षण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। या B.P.Ed. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 10 + 2 या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से। (2) अंग्रेजी माध्यम से शारीरिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता।
26	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (महिला)	7	44900	सी 2	18	45	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन शारीरिक प्रशिक्षण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। या B.P.Ed. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 10 + 2 या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से। (2) अंग्रेजी माध्यम से शारीरिक शिक्षा प्रदान करने की क्षमता।
27	सहायक अध्यापिका (जूनियर स्कूल)	6	35400	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	(i) 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंक और 2 साल का डिप्लोमा इन प्राथमिक शिक्षा (जो भी नाम से जाना जाता है)। या एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंक और प्राथमिक शिक्षा में 2-वर्षीय डिप्लोमा (जो भी नाम से ज्ञात हो)। या 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4-वर्षीय प्राथमिक शिक्षा में स्नातक (B.El.Ed)। या 10 + 2 या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 2-वर्षीय शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)। या स्नातक और 2 साल का डिप्लोमा प्राथमिक शिक्षा में (जो भी नाम से जाना जाता है)। तथा (ii) शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा एनसीटीई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई हो। तथा (iii) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता। नोट: योग्यता अंक में 5% तक की छूट आरक्षित वर्गों जैसे SC / ST / OBC / PwBD के उम्मीदवारों को दी जाएगी।

28	संगीत अध्यापिका	6	35400	सी 2	18	45	एल वी	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी	नहीं	हाँ	बी.ए. डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में संगीत के साथ। या 1. गंधर्व महाविद्यालय मंडल, बॉम्बे का संगीत विशारद परीक्षा। 2. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की संगीत विद परीक्षा, खैराबाद (म.प्र।)। 3. प्रयाग संगीत समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद का संगीत प्रभाकर परीक्षा। 4. भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ (पहले, मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक लखनऊ) की संगीत विशारद परीक्षा। 5. माधव संगीत महाविद्या, लशकर, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। 6. शंकर गांधारिये गांधारी विद्यालय, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। 7. निदेशक, शिक्षा विभाग, म.प्र. का संगीत रतन डिप्लोमा।
29	नृत्य अध्यापिका	6	35400	सी 2	18	45	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्य में डिग्री (4 वर्षीय कोर्स)। या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा (5 वर्ष)।
30	प्रयोगशाला सहायक / (स्कूल)	4	25500	सी 2	18	45	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	विज्ञान के साथ 10 + 2 या इसके समकक्ष और पैथोलॉजिकल एंड बायो-केमिकल प्रयोगशाला में 1 साल का अनुभव।

संक्षिप्तियाँ एएवी =एसिड हमले का शिकार, B=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=सुनने में दिक्कत, एचआई=श्रवण दोष, आईडी= बौद्धिक अक्षमता, एलसी=कुष्ठ रोग उपचारित, एलडी= लोकोमोटर विकलांगता, एलव्ही=न्यून दृष्टि, एमडी= बहु अशक्तता, एमडब्ल्यू= मांसपेशियों की कमजोरी, ओए=एक भुजा, ओडी=अन्य दिव्यांगता, ओएल= एक पैर, ओएएल=एक भुजा और एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी= बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार , एसएलडी=वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई= दृष्टिहीनता।

CEN-03-2019 - VACANCY TABLE

RRB-wise, Railway/PU-wise & Post-wise vacancies for all the Notified Posts

RRB/AHMEDABAD

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NAIR	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	WR	5	0	0	2	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		7	2	1	5	1	16	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				16	3	3	7	1	30	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/AJMER

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NWR	9	3	2	6	1	21	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		5	1	0	1	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		6	2	0	3	0	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		7	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				29	6	2	10	2	49	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/ALLAHABAD

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NCR	24	8	5	11	4	52	5	2	1	2	0	2	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		3	1	1	2	1	8	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	COOK	2		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	POST GRADUATE TEACHER /COMPUTER SCIENCE	8	OAK GROVE SCHOOL, JHARIPANI, UTTRAKHAND (NR)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	POST GRADUATE TEACHER / BIOLOGY (ENGLISH MEDIUM) (MALE)	8		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	POST GRADUATE TEACHER / ENGLISH (MALE)	8	OAK GROVE SCHOOL, JHARIPANI, UTTRAKHAND (NR)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	POST GRADUATE TEACHER / ENGLISH (FEMALE)	8		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	POST GRADUATE TEACHER / GEOGRAPHY (ENGLISH MEDIUM) (FEMALE)	8		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	POST GRADUATE TEACHER / PHYSICS (MALE)	8		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	POST GRADUATE TEACHER / PHYSICS (FEMALE)	8		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	POST GRADUATE TEACHER / POLITICAL SCIENCE (FEMALE)	8		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	TRAINED GRADUATE TEACHER / COMPUTER SCIENCE	7	OAK GROVE SCHOOL, JHARIPANI, UTTARAKHAND (NR)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	TRAINED GRADUATE TEACHER / HOME SCIENCE (FEMALE)	7		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	TRAINED GRADUATE TEACHER / HINDI (FEMALE)	7		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TRAINED GRADUATE TEACHER / SOCIAL SCIENCE (FEMALE)	7		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	PHYSICAL TRAINING INSTRUCTOR (ENGLISH MEDIUM) (MALE)	7		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	PHYSICAL TRAINING INSTRUCTOR (ENGLISH MEDIUM) (FEMALE)	7		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ASSISTANT MISTRESS (JUNIOR SCHOOL)	6		1	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	MUSIC MISTRESS	6		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	DANCE MISTRESS	6		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	LABORATORY ASSISTANT / SCHOOL	4		1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6	DLW	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NR	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6	NR	4	1	1	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	HEAD COOK	5		2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	COOK	2		5	2	1	3	1	12	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				53	22	11	32	8	126	8	4	4	5	0	3	0	0	0	0	

RRB/BANGALORE																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	RWF	8	1	1	3	1	14	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	SWR	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SWR	31	10	7	10	4	62	7	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		7	2	1	4	1	15	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				51	15	10	20	7	103	10	3	0	5	0	2	0	0	0	0	

RRB/BHOPAL																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	WR	4	0	1	1	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	WCR	6	2	1	3	1	13	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		4	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				14	2	2	5	1	24	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	

RRB/BHUBANESWAR																					
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ECoR	12	6	5	5	2	30	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		4	4	2	2	1	13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		3	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	FINGER PRINT EXAMINER	6		2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				22	11	8	9	3	53	3	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	

RRB/BILASPUR																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SECR	8	2	1	3	1	15	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0

3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6	SECR	3	2	1	2	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		3	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				15	4	2	6	1	28	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	

RRB/CHANDIGARH																					
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NR	8	3	1	4	2	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		19	6	3	11	2	41	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		11	0	0	0	1	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LAB ASSISTANT GRADE III CHEMIST and METALURGIST	2		2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	FINGER PRINT EXAMINER	6	NR	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	HEAD COOK	5		3	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	COOK	2		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SENIOR PUBLICITY INSPECTOR	6		0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				50	11	4	18	5	88	4	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/CHENNAI																					
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SR	37	13	19	18	6	93	9	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		4	0	2	0	1	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LAB ASSISTANT GRADE III CHEMIST and METALURGIST	2		14	4	2	8	3	31	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	COOK	2		2	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ICF	2	2	8	0	1	13	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				62	21	32	28	11	154	16	4	3	6	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/GORAKHPUR																					
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NER	3	2	1	3	1	10	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		6	3	4	5	2	20	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	MCF	8	2	1	4	1	16	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6	MCF	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	RDSO	8	2	8	0	1	19	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				32	11	15	13	5	76	7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	

RRB/GUWAHATI																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	NFR	18	6	3	11	4	42	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		6	2	1	4	1	14	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				26	8	4	15	5	58	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	

RRB/JAMMU-SRINAGAR

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	NR	10	3	1	5	1	20	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	DMW	5	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		6	1	1	1	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LAB ASSISTANT GRADE III CHEMIST and METALURGIST	2		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		RCF	7	4	3	5	1	20	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				31	9	6	11	2	59	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/KOLKATA

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	CLW	16	4	2	9	3	34	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		3	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ER	67	24	13	40	16	160	17	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		11	4	2	7	3	27	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		4	1	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		2	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SENIOR PUBLICITY INSPECTOR	6		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6	METRO KOLKATA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	SER	7	2	1	0	1	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		22	6	3	5	3	39	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		3	2	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LAB ASSISTANT GRADE III CHEMIST and METALURGIST	2		7	2	1	4	2	16	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SENIOR PUBLICITY INSPECTOR	6		0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				148	49	26	67	29	319	31	12	3	3	0	2	0	0	0	0	0	

RRB/MALDA																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ER	5	1	0	2	1	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SER	7	1	0	3	1	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				15	2	0	5	2	24	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RRB/MUMBAI																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	CR	26	10	6	17	7	66	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0

2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	CR	27	9	5	18	5	64	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		7	7	3	8	3	28	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		9	0	1	1	1	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		3	0	1	2	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PUBLICITY INSPECTOR	5		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PHOTOGRAPHER	4		1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SCR	2	1	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	WR	5	2	2	0	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		21	5	3	7	3	39	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		6	3	2	10	2	23	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		5	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	FINGER PRINT EXAMINER	6	WR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				116	37	24	65	25	267	25	13	3	5	0	1	0	0	0	0	0

RRB/PATNA

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	ECR	6	1	0	2	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		5	2	1	4	1	13	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		11	4	2	8	3	28	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		2	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CHIEF LAW ASSISTANT	7		1	2	0	2	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	ECR	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	RWP Bela	4	1	1	3	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				30	11	4	20	7	72	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/RANCHI

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ECR	3	2	1	3	1	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	JUNIOR STENOGRAPHER / HINDI	4	SER	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4		3	1	1	2	1	8	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				8	4	2	5	2	21	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	

RRB/SECUNDERABAD

Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																	
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog					
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	ECOR	1	3	2	2	1	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SCR	18	18	11	7	5	59	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
3	JUNIOR TRANSLATOR / HINDI	6		7	3	2	4	2	18	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	STAFF and WELFARE INSPECTOR	6		5	2	1	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				31	26	16	14	8	95	9	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	

RRB/THIRUVANANTHAPURAM																				
Cat. No.	Name of the Post	Level	Rly./ PU	No. of Vacancies																
				UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL	ExSM	Regular					Backlog				
											VI	HI	LD	OD	MD	VI	HI	LD	OD	MD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
2	JUNIOR STENOGRAPHER / ENGLISH	4	SR	7	3	2	4	3	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				7	3	2	4	3	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL (ALL RRBs)				756	255	173	354	127	1665	141	74	21	46	0	11	0	0	0	0	0

Abbreviations: VI = Visually Impaired, HI = Hearing Impaired, LD = Locomotors Disabilities, OD = Other Disabilities, MD = Multiple Disabilities, B-VI = Backlog Visually Impaired, B-HI = Backlog Hearing Impaired, B-LD = Backlog Locomotors Disabilities, B-OD = Backlog Other Disabilities, B-MD = Backlog Multiple Disabilities, AAV = Acid Attack Victim, ASD=Autism Spectrum Disorder, B=Blind, BL=Both Legs, D = Deaf, DW = Dwarfism, HH = Hard of Hearing, HI = Hearing Impairment, ID = Intellectual Disability, LC = Leprosy Cured, LD = Locomotor Disability, LV = Low Vision, MD = Muscular Dystrophy, MW = Muscular Weakness, OA = One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg, PwBD=Persons With Benchmark Disabilities, RPwD = Rights of Persons with Disabilities, SLD=Speech and Language Disability, VI=Visually Impairment. Cat. No. = Category Number.

